bjpkamaljyoti@gmail.com www.up.bjp.org संवत 2081 युगाब्द 5126 कुल पृष्ठ–32 दिसम्बर प्रथम 2024, वर्ष –36 : अंक –09

वर्तमान

कमल ज्योति

जय राष्ट्र, जय महाराष्ट्र!

₹20

Shri Narendra Modi

43वाँ रामायण मेला
रामायण मेला समिति द्वारा आयोजित
४३वाँ रामायण मेला
दिनांक - 5 से 8 दिसम्बर 2024 स्थान - रामकथा पार्क, अयोध्या
सहयोगी संस्था

दिवस पर

वर्तमान
कमल ज्योति

संरक्षक
श्री भूपेन्द्र सिंह
सम्पादक
अरुण कान्त त्रिपाठी
प्रबन्ध/कार्यकारी सम्पादक
राजकुमार
प्रकाशक
प्रो0 श्याम नन्दन सिंह
पृष्ठ संयोजक
ओम प्रकाश पंडित

कार्यालय

कमल ज्योति, 7–विधानसभा मार्ग
लखनऊ – 1
फोन :– 0522–2200187
फैक्स :– 0522–2612437

Email- bjpkamaljyoti@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं

मुद्रक

नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, राजेन्द्र नगर, लखनऊ–4

www.up.bjp.org
bjpkamaljyoti
Vartman Kamaljyoti
@bjpkamaljyoti

बाबा साहब को कोटिशः नमन!

सम्पादकीय

बांग्लादेश में षडयन्त्र?

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर अत्याचार की हदें पार हो रही हैं कट्टर पंथियों द्वारा इस्लामिक देश पूर्णतया बनाने के उद्घोष हो रहे हैं। भारत को उकसाने के सभी प्रयत्न हो रहे हैं। पाकिस्तान, चीन में भी इसका समर्थन जश्न है। तीन तरफ से भारतीय सीमा से लगा बांग्ला देश युद्ध की चुनौती दे रहा है। बांग्लादेश मे तख्तापलट होता है,सीरिया मे विरोधी उग्र हो गए, पाकिस्तान मे अचानक से नरसंहार शुरू हुआ, साउथ कोरिया मे सैन्य शासन लग गया,भारत मे किसानों की आड़ मे बिना बात अचानक आंदोलन होने लगे। ये सच मे सिर्फ संयोग है? आज देश में संत हिन्दू समाज उद्वेलित है बड़े–बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं जो उचित हैं, विश्व में कहीं भी हिन्दू प्रताणित होता है तो भारतवंशीयों का चिंतित होना स्वाभाविक है।

उधर पू0 चिन्मय दास जी चार महीने से विरोध कर रहे थे, मगर गिरफ्तार अब हुए। एक माहौल बनाया जा रहा है कि भारत बस किसी भी तरह बांग्लादेश पर हमला कर दे? इन दो महीनो मे बांग्लादेश के हिन्दुओ के साथ बहुत कुछ हो गया। जो विपक्ष चार महीने से मुँह मे दही जमाये बैठा था वो अब अचानक हिन्दुओ के लिये सरकार से आवाज़ उठा रहा है। एक कोशिश है कि भारत युद्ध छेड़ दे, और ये युद्ध अभी हुआ तो इस युद्ध का कोई परिणाम भी नहीं आएगा क्योंकि जो अन्य युद्ध चल रहे है वे भी बस चल रहे है। गलवान वैली के बाद एक बात जो समझ आयी वो ये कि भारतीयों का माइंडसेट युद्ध वाला नहीं है। यहाँ का विपक्ष राजनीति करता है। मोदी व भारतीय विदेश नीति को दोष देता है। जबकि सरकार के कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। गलवान वैली देखा जाए तो भारत की विजय हुई थी मगर हमारे 20 सैनिको की वीरगति का जिस तरह विपक्ष द्वारा विधवा आलाप करके सरकार का अपमान किया गया वो दर्शाता है कि हम मन से मजबूत नहीं है।

क्या कथित सेक्युलर आंसू बहाकर सेना और सरकार का मोरल डाउन नहीं करेंगे? बांग्लादेश को आप आसानी से हरा दोगे लेकिन मन की लड़ाई हार जाओगे क्योंकि फिलिस्तीन मे 50 हजार के मरने पर भी वो मौत से नहीं डर रहे। बांग्लादेश मे जो हो रहा है वो बस उकसाने वाली बात है कि बस किसी तरह भारत आक्रमण कर दे और 2–3 सालो के लिये नए भूराजनैतिक समीकरण मे उलझ जाए। जिससे भारत का विकास उलझ जाये ।

उन्हें लग रहा है कि युद्ध 1 बजे शुरू होगा और 2 बजे तक बांग्लादेश के सारे हिन्दू भारत मे आ चुके होंगे। बांग्लादेश शमशान बन जाएगा और भारत का ना कोई सैनिक और ना कोई नागरिक मरेगा। भारत के शहरो पर कोई गोला नहीं गिरेगा।

भारत ने पिछले एक महीने मे ही कुछ सैन्य परिक्षण भी किये है, चीन से तो अभी लड़ना नहीं है, पाकिस्तान से भी नहीं संभव है तो युद्ध बांग्लादेश से हो। युद्ध से विरोध नहीं है मगर युद्ध तैयारियो, अवलोकनो और अपने समय के हिसाब से होना चाहिए ना कि दुश्मन के एजेंडे मे फसकर, उसके उकसावे मे आकर बांग्लादेश से युद्ध करना है?

आज आवश्यकता है। बांग्लादेशी सरकार के आर्थिक नाकेबंदी सहित कड़ी चेतावनी का, संयुक्त राष्ट्रसंघ पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का संज्ञान ले। हिन्दु समाज एक रहेगा, सेफ रहेगा। भारत के विदेश सचिव विवेक मिस्त्री की बांग्लादेश की कड़ी शब्दों में वार्ता देखना है क्या रंग लाती है।

सहकारी संघवाद में पूरी निष्ठा : नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जगत प्रकाश नड्डा ने 'संविधान दिवस समारोह' के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह एवं श्री दुष्यंत गौतम, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल एवं श्री वीरेंद्र खटीक, सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, पार्टी पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभागार में उपस्थित सभी पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस देश के नेतृत्व को संविधान दिवस मनाने में 65 साल लग गए। आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को आगे बढ़ाने का कार्य पूरी निष्ठा से किया गया है।

मोदी सरकार ने संविधान की सही मायने में रक्षा करते हुए तीन तलाक और धारा 370 को खत्म करने वाले फैसले लिए। साथ ही, महिला आरक्षण विधेयक, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए।

श्री नड्डा ने कहा कि आज 75 वें संविधान दिवस के अवसर पर देश की राष्ट्रपति श्रीमति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्र को संबोधित किया और संविधान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देश के समक्ष रखा। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संवैधानिक ग्रंथ है। देश को आगे बढ़ाने में संविधान ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में संविधान को एकरूपता प्रदान की। संविधान सभा में हुई चर्चाओं और बहसों की अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर जी ने इन चर्चाओं के बिंदुओं को विस्तार से शब्दों में पिरोया और वो संविधान के रूप में सबके सामने आया। आज संविधान दिवस के अवसर

पर डॉ राजेन्द्र प्रसाद और बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर को याद किया जाता है। श्री नड्डा ने कहा कि वर्ष 2008 में आज के ही दिन मुंबई में 26/11 की भयानक घटना घटी थी। इस हमले में आम नागरिक और विदेशी पर्यटक भी हताहत हुए और सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। 26/11 के हमले में मारे गए लोगों और शहीद सुरक्षाकर्मियों को याद करते हुए भाजपा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब डॉ अंबेडकर ने संविधान के रूप में देश को सबसे बड़ा उपहार प्रदान किया। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम संविधान का सदुपयोग करते हुए देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस देश के नेतृत्व को संविधान दिवस मनाने में 65 साल लग गए, यह देश के नेतृत्व पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने गुजरात में संविधान गौरव यात्रा की शुरुआत की और 26 नवंबर के महत्वपूर्ण दिवस को याद किया। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद, आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की। देश की आजादी की बात करने वाले और इतने वर्षों तक देश पर राज करने वाले लोगों की संविधान के प्रति सोच और प्रतिबद्धता पर सवाल उठते हैं। 2015 में जब संसद में संविधान दिवस मनाने का मुद्दा उठा तो कांग्रेस ने कहा कि जब हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो संविधान दिवस मनाने की क्या जरूरत है? लेकिन 2 दिन की चर्चा और बहस के बाद, देश में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में

देश की युवा पीढ़ी को यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि बाबा साहेब अंबेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दिया था? किस तरह कांग्रेस ने उन्हें चुनाव में हरवाने की साजिश रची? बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब केंद्र में भाजपा समर्थित सरकार आई।

भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को उसके वास्तविक स्वरूप में देश के सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया।

भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठा भी संविधान की प्रस्तावना को दोहराती है जो लिंग, जाति और स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करती है तथा अभिव्यक्ति और आवागमन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। देश और राज्य को चलाने वाले लोगों के लिए यह आवश्यक है कि वे संविधान की प्रस्तावना को आत्मसात करें और इसके साथ ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी अध्ययन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाया गया है। संविधान में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि 'प्रकृति में एकात्मक एवं संरचना में संघीय' (unitary in nature, federal in structure) है तथा भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों को माना एवं राज्यों को उचित गति से आगे बढ़ाने का काम किया है

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा–एनडीए की सरकार ने संविधान की आत्मा को पूर्ण रूप से लागू करने में सफलता पाई है। जहां संविधान सभी राज्यों को समान मानता था, वहीं जम्मू–कश्मीर में धारा 370 और अनुच्छेद 35। जैसे प्रावधान वर्षों से लागू थे। 5 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 और अनुच्छेद 35। को समाप्त कर जम्मू–कश्मीर को संविधान के अनुरूप अन्य राज्यों की तरह समान अधिकार दिया गया। आजादी के 75 वर्षों बाद पहली बार जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री ने संविधान के अनुरूप शपथ ली। धारा 370 और अनुच्छेद 35। की समाप्ति के बाद ही जम्मू–कश्मीर पूरी तरह भारत का अभिन्न अंग बन पाया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और

इंडोनेशिया जैसे देशों में ट्रिपल तलाक पहले ही समाप्त किया जा चुका था, लेकिन भारत में तीन तलाक की प्रथा तब तक जारी रही, जब तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसे समाप्त करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। एनडीए सरकार ने सही मायनों में संविधान की रक्षा करते हुए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। महिला आरक्षण विधेयक, जो पहली बार 1996 में लोकसभा में पेश हुआ था और वर्षों तक बिना किसी निर्णय के अटका रहा। लेकिन मोदी सरकार 2.0 ने महिला आरक्षण विधेयक पारित करके महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया। इसी तरह, ओबीसी के लिए न्याय और संविधान की रक्षा की दिशा में, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू किया, जो समाज में समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोप कर संविधान को बंधक बनाया। मीसा और डीआईआर के तहत 1,36,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिए गए थे। संविधान की रक्षा के लिए हमारी विचारधारा का समर्थन करने वाले 75,000 से अधिक लोगों ने जेल की सजा भुगती। आपातकाल दो वर्षों तक चला, जिसके दौरान अनुच्छेद 19, 21 और 22 का उल्लंघन किया गया और उनका प्रवर्तन निलंबित कर दिया गया। उस समय, यह भी स्पष्ट नहीं था कि वे कभी रिहा होंगे या देश में लोकतंत्र वापस आएगा, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई बिना रुके जारी रखी। आज हम न केवल भाजपा कार्यालयों में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में संविधान दिवस मना रहे हैं।

कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोप कर संविधान को बंधक बनाया। मीसा और डीआईआर के तहत 1,36,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिए गए थे।

भारतीय जनता पार्टी ही संविधान की सच्ची रक्षक है और हमें इसे संजोकर रखना होगा। कांग्रेस ने 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया, संविधान पर आघात किया और न्यायपालिका को नियंत्रित करने के प्रयास किए। कांग्रेस ने न्यायधीशों की नियुक्तियों को अपने हितों के अनुसार मोड़ने की कोशिश की और संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। श्री नड्डा ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर को उनके जीवित रहते वह सम्मान नहीं दिया गया, जिसके वे हकदार थे। सम्मान देने के बदले कांग्रेस ने डॉ अंबेडकर को बार–बार अपमानित किया। राजनैतिक विज्ञान पढ़ने वाली युवा पीढ़ी को यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दिया था? उनके इस्तीफे में क्या लिखा था? कांग्रेस ने उनके इस्तीफे को छिपाने और जनता के सामने न आने देने की कोशिश की। इतिहास गवाह है कि जब बाबा साहेब मुंबई से चुनाव लड़ने गए, तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाली पार्टी कांग्रेस ही थी। संविधान निर्माता को लोकसभा में आने से रोकने का काम भी कांग्रेस ने किया था। यह सब बातें जानना आज के युवाओं और राजनैतिक विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है।

देश में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। यह सम्मान केवल भाजपा समर्थित सरकार के सत्ता में आने पर संभव हो पाया। साथ ही, बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर की तस्वीर भी संसद में स्थापित की गई। भाजपा ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को सच्चा सम्मान देकर उनके योगदान को राष्ट्र के समक्ष सही मायने में प्रस्तुत किया। गर्व से यह कहा जा सकता है कि भाजपा ही संविधान की सच्ची रक्षक और इसके आदर्शों की चैंपियन है। हम सभी को संविधान को कमजोर करने के प्रयासों से सतर्क रहते हुए इसकी रक्षा के लिए सदैव दृढ़ता के साथ खड़े रहना है।

संविधान सभा में गहन बहस और विचार–विमर्श के बाद यह स्पष्ट रूप से तय किया गया था कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जाएगा। इसी सिद्धांत के तहत, संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने कई बार अप्रत्यक्ष तरीकों से एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण में धर्म को शामिल करने के प्रयास किए हैं। प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है कि संविधान के रक्षक के रूप में इसकी मूल भावना को समझना, संरक्षित रखना और उसके अनुरूप आचरण करे। संविधान की निर्माण प्रक्रिया एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही है, जिसे श्याम बेनेगल द्वारा निर्मित एक फिल्म के माध्यम से प्रलेखित किया गया है। यह फिल्म संसद टीवी पर भी उपलब्ध है और इसमें संविधान सभा में हुई बहस और विचार–विमर्श का विस्तृत चित्रण किए गए हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं और छात्रों को इस फिल्म को देखना चाहिए, ताकि वे भारत और उसके संविधान को गहराई से समझ सकें।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संविधान दिवस पर बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संविधान सभा में योगदान देने वाले सभी नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संविधान को संरक्षित रखना और इसके प्रति स्वयं को समर्पित करना देश की जनता कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है।

युवावर्ग को संगठन में अहम् भूमिका : तावड़े

संगठन पर्व

भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व–2024 की प्रदेश चुनाव पर्यवेक्षकों की कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय पर्यवेक्षक और राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े ने कहा कि, भाजपा संगठन के विस्तार एवं वैचारिक मजबूती का आधार निष्ठापूर्वक संगठन के चुनाव में अपनाये रखना है जिससे भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके। हमारा प्रयास रहे कि भाजपा का दर्शन, सिद्धांत एवं वैचारिक अधिष्ठान का आग्रह लोगों तक पहुंचे। भाजपा के संविधान के अनुसार नियमों के तहत आम सहमति से चुनावों में युवा वर्ग को संगठन विस्तार में अहम् भूमिका में लाया जाये। भाजपा अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी, प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय, प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री धर्मपाल सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री रमापति राम त्रिपाठी, श्री स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश सह प्रभारी श्री संजीव चौरसिया, अपील कमेटी के प्रदेश संयोजक श्री राजेन्द्र अग्रवाल की मौजूदगी में हुई कार्यशाला में प्रदेश स्तर तक के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, चुनाव अधिकारी, सह चुनाव अधिकारी और मोर्चों के पदाधिकारी शामिल रहे। संचालन प्रदेश महामंत्री श्री गोविन्द नारायण शुक्ला ने किया।

श्री विनोद तावड़े ने कहा कि हिंदुस्तान में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो 365 दिन 24 घंटे काम करती है। भाजपा केवल सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति नहीं करती बल्कि एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो राजनीति के साथ सेवा के लिये भी जानी जाती है। हम राजनीति के साथ–साथ सामाजिक सरोकार का काम भी करते हैं। संगठन चुनाव के दौरान कार्यकर्ता की निष्ठा और उसका कमिटमेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम आज सत्ता में हैं और आगे भी सत्ता मे रहे। इसलिए संगठन के विस्तार में पार्टी की विचारधारा के अनुरूप कार्यकर्ताओं को प्रेरित करके आगे लाना चाहिये। सभी समाज के सभी वर्गों के साथ–साथ महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देने का पूरा प्रयास करना है। संगठन विस्तार के साथ–साथ क्षेत्र के सामाजिक – राजनीतिक स्थितियों का विश्लेषण करते हुये लीडरशिप को सामने लेकर आना है।

प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि, संगठन पर्व के पहले चरण में हमने जिलों में कार्यशालायें की इसके बाद मण्डल स्तर पर कार्यशालायें आयोजित की गईं। कार्यशालाओं के सफल संचालन के उपरांत बूथों पर संगठनात्मक बैठकें करके हम संगठन चुनाव को गति के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आज के बाद संगठन के चुनावों की धुरी मण्डल और उसके बाद जिला सतर पर रहेगी। मण्डल कार्य का संगठनात्मक आधार है। मण्डल की सक्रियता के कारण जिला, बूथ और शक्तिकेन्द्र के स्तर पर कार्य अच्छा हो जाता है। मण्डल स्तर के चुनावों के लिए एक कार्ययोजना तय है जिसके बारे में आप सभी को बताया जायेगा कि क्या और कैसे करना है। अगर हम सभी पार्टी के सिद्धातों और नियमों के अनुरूप मिलकर कार्य करेंगे तो मुझको विश्वास है

कि, मण्डल के चुनाव भी सफलता के साथ अगले 15 दिनों में सपन्न हो जायेंगे। चुनाव निर्विरोध एवं निर्वाध संपन्न हो इसके लिए आपस में टीम भावना के साथ बैठकर मिलकर एक सहमति के आधार पर कार्य करना है।

प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉ महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने बताया कि, 98000 बूथ समितियों का निर्वाचन संपन्न किया जा चुका है। सभी संगठनात्मक 98 जिलों में जिला चुनाव अधिकारी, मण्डल चुनाव अधिकारी एवं शक्तिकेन्द्र चुनाव अधिकारी कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में अपील कमेटी गठित कर ली गई है एवं पर्यवेक्षकों के नाम तय किये जा चुके हैं। जिनको 3 से 4 जिला का कार्य सौंपा गया है। संगठन पर्व के दूसरे चरण के लिए अब तक 63 जिलों की जिला कार्यशालायें पूरी हो गईं हैं। जिलों की कार्यशालाओं के साथ ही मण्डल की बैठकें भी आरंभ है। 10 दिसंबर तक मण्डल गठन के बारे में आरंभिक विचार आदि के लिए जिला चुनाव अधिकारी एवं सह चुनाव अधिकारी प्रवास कर रहे हैं। 15 दिसंबर तक सभी 1918 मण्डलों के संगठन चुनाव सपन्न करा लिये जायेंगे। इसके बाद 16 दिसम्बर से 30 दिसंबर के मध्य सभी 98 संगठनात्मक जिलों का चुनाव पूरा किया जायेगा।

15 दिसंबर तक सभी 1918 मण्डलों के संगठन चुनाव सपन्न करा लिये जायेंगे। इसके बाद 16 दिसम्बर से 30 दिसंबर के मध्य सभी 98 संगठनात्मक जिलों का चुनाव पूरा किया जायेगा।

बैठक में सभी चुनाव अधिकारियों और सह चुनाव अधिकारियों को लक्ष्य दिया गया कि बूथ कमिटियां गठित होने के बाद तुरंत मंडल अध्यक्षों के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। सभी मंडल अध्यक्षों का चयन 15 दिसम्बर तक कर लिया जाए। वहीं 30 दिसम्बर तक सभी जिलाध्यक्षों का चुनाव करा लिए जायेंगे।

भाजपा प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी संगठन बनाने के लिए जरूरी है कि सभी प्रमुख पदाधिकारी प्रवास करें और संगठन चुनाव तक उसी जिले मे निवास करके हर वर्ग को संगठन में जिम्मेदारी देने का प्रयास करें। सदस्यों के लिहाज से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाने वाली भाजपा ने संगठन स्तर पर कुछ खास फोकस किया है। कार्यकर्ता पर फोकस करते हुये ही संगठन चुनाव आगे बढ़ रहा हैं। बूथ से लेकर जिला स्तर तक भाजपा सर्वसम्मति से चयन को महत्व दे रही है, ताकि कार्यकर्ताओं के बीच दूरदर्शी मैसेज जाए। उन्होंने बताया कि, कार्यकर्ता आधारित संगठन के कारण ही उत्तर प्रदेश में हमने 2 करोड़ 60 लाख सामान्य सदस्यता की है। इसके अलावा 50 सदस्यता करने वाले 2 लाख 5 हजार 789 कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में सक्रिय सदस्य बने हैं जो कि एक रिकार्ड है।

आगे भाजपा संगठन पर्व के साथ ही 6 दिसंबर को बाबा साहब डा. भीमराव आंबेडकर निर्वाण दिवस को सभी बूथों पर समता दिवस के रूप में मनायेंगी। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयन्ती को सभी बूथों पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जायेगा। 26 दिसंबर को जिला स्तर पर राष्ट्रीय बाल शहीदी दिवस मनाना है।

धर्मान्तरण से राष्ट्रांतरण

धर्मांतरण वस्तुतः राष्ट्रांतरण होता है। धर्मांतरित व्यक्ति अपनी जन्मभूमि, इतिहास और संस्कृति से टूट जाता है। भारत ईसाई, इस्लामी जोर जबरदस्ती, लोभ, भय आधारित धर्मांतरण का निशाना है। मद्रास हाई कोर्ट में एक महिला ने धर्मांतरित ईसाई होने के बावजूद हिन्दू दलित होने का प्रमाण पत्र मांगा था। न्यायालय ने टिप्पणी की कि केवल नौकरी के लिए धर्मांतरण करना संविधान विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को जस का तस स्वीकार कर लिया है। न्यायालय ने कहा है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखाधड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णय से राष्ट्र प्रसन्न है। 1950 के राष्ट्रपति के आदेश में कहा गया है कि सिर्फ हिन्दुओं, बौद्ध, जैन सहित सिखों के दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिल सकता है। संविधान में धर्म प्रचार (अनुच्छेद 25) की स्वतंत्रता है और किसी भी पंथ या विश्वास को स्वीकार करने की भी। कोर्ट ने बल देते हुए कहा कि धर्मांतरण सच्चे विश्वास से प्रेरित होते हैं न कि गुप्त उद्देश्यों से। धर्मांतरित दलित ईसाइयों व मुस्लिमों की आरक्षण की मांग पुरानी है। धर्मांतरित अनुसूचित जाति को सरकारी प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जाति का नहीं माना जा सकता। उन्हें ईसाई या मुस्लिम बन जाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के व्यापक प्रभाव होंगे।

धर्मांतरण अंग्रेजीराज के पहले से ही राष्ट्रीय बेचैनी का विषय रहा है। मिशनरी अस्पताल स्कूल और तमाम सुविधाएं सेवाएं देकर गरीबों का धर्मांतरण कराते हैं। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, झारखंड आदि राज्यों क्षेत्रों में धर्मांतरण का काम जारी है। महात्मा गांधी ने 18 जुलाई 1936 के हरिजन में लिखा था, "आप पुरस्कार के रूप में चाहते हैं कि आपके मरीज ईसाई बन जाएं।" डॉ0 आम्बेडकर ने भी कहा था कि, "गांधी जी के तर्क से वे सहमत हैं लेकिन उन्हें ईसाई पंथ प्रचारकों से दो टूक शब्दों में कह देना चाहिए कि अपना काम रोक दो।" उन्होंने व्लादिमीर के ईसाई होने और एक साथ भारी भीड़ के धर्मांतरण का उदाहरण देते हुए कहा, "इतिहास गवाह है कि धोखाधड़ी के कारण धर्म परिवर्तन हुए हैं।" अफ्रीकी आर्कबिशप डेसमंड टूटू ने कहा था, "जब मिशनरी अफ्रीका आए तब उनके पास बाइबल थी और हमारे पास धरती। मिशनरी ने कहा हम सब प्रार्थना करें। हमने प्रार्थना की। आंखें खोली तो पाया कि हमारे पास बाइबल और भूमि उनके कब्जे में थी।"

आजादी के बाद चार–पांच साल की अवधि में मध्य प्रदेश की कांग्रेसी सरकार भी धर्मांतरणों से पीड़ित थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल ने न्यायमूर्ति भवानी शंकर नियोगी की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई। समिति ने 14 जिलों के लगभग 12000 लोगों के बयान लिए। ईसाई संस्थाओं को भी अपना पक्ष रखने के लिए अवसर मिले। नियोगी समिति ने धर्मांतरण के लक्ष्य को लेकर भारत आए विदेशी तत्वों को देश से बाहर करने की सिफारिश की। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एम. एल. रेंगे के नेतृत्व वाली जांच समिति ने ईसाई धर्मांतरणों को ही दंगों का कारण बताया। न्यायमूर्ति वेणुगोपाल आयोग ने यह कृत्य रोकने के लिए नए कानून की सिफारिश की। एक समय ऑस्ट्रेलिया के पादरी ग्राहम स्टेंस और उनके दो बच्चों को जलाकर मारने की जांच करने वाले वाधवा आयोग ने भी ईसाई धर्मांतरण को चिन्हित किया।

धर्मांतरित व्यक्ति की देश के प्रति कोई आस्था नहीं होती। प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास होता है। संस्कृति होती है। राष्ट्र के निवासियों में अपनी धरती व संस्कृति के प्रति आदर भाव होता है। भारत वासियों के लिए भूमि माता है। धर्मांतरित लोगों की श्रद्धा के केन्द्र भारत के बाहर हो जाते हैं। ईसाई होने पर जेरूसलम श्रद्धा का केन्द्र हो जाता है। इसी तरह इस्लाम अनुयायियों का केन्द्र मक्का। धर्मांतरित व्यक्ति के पास

अपना इतिहास नहीं होता। उसके देवी देवता भी बदल जाते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बी. एस. नायपाल ने 'बियॉन्ड बिलीफ' में लिखा है, "जिसका धर्म परिवर्तन होता है उसका अपना अतीत नष्ट हो जाता है। नए विश्वास के कारण उसके पूर्वज बदल जाते हैं। उसे कहना पड़ता है कि हमारे पूर्वजों की संस्कृति अस्तित्व में नहीं है और न ही कोई मायने रखती है।"

वर्ष 2020 में मोदी सरकार ने सख्ती दिखाई और चार बड़े ईसाई संगठनों के अनुमति पत्र, विदेशी अनुदान विनयमन अधिनियम के प्रावधानों में निरस्त कर दिए गए। अधिनियम के संशोधन में सभी एन.जी.ओ. को 20 फीसदी से अधिक प्रशासनिक व्यय न करने के निर्देश हैं। इस अधिनियम के पहले तक एन.जी.ओ. विदेशी सहायता का 50 फीसदी हिस्सा प्रशासनिक खाते में दिखाते थे। इस धनराशि का उपयोग धर्मांतरण के लिए होता रहा है। विदेशी अनुदान को किसी अन्य संगठन को हस्तांतरित करने पर भी रोक लगाई थी। प्रत्येक दृष्टि से प्रशंसनीय इस कानूनी संशोधन का भी विरोध हुआ। तृणमूल कांग्रेस ने अधिनियम का विरोध किया था। कांग्रेस के अधीर रंजन चैधरी ने इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कहा था। भय, लोभ, आदि कारणों से हुए धर्मांतरण उचित नहीं हैं। धर्म प्रचारक मिशनरीज अनुच्छेद 25 का दुरुपयोग करते हैं। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि, "लोकव्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा अन्य अपबंधों के अधीन सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार होगा।"

धर्म प्रचार का अधिकार खतरनाक है। इसका सदुपयोग विरल है और फायदे के लिए दुरूपयोग आसान है। धर्म उपभोक्ता माल नहीं है। उपभोक्ता वस्तुओं का प्रचार होता है।

धर्म प्रचार का अधिकार खतरनाक है। इसका सदुपयोग विरल है और फायदे के लिए दुरूपयोग आसान है। धर्म उपभोक्ता माल नहीं है। उपभोक्ता वस्तुओं का प्रचार होता है। धर्म साधना के तल पर व्यक्तिगत है और सामूहिक स्तर पर राष्ट्रजीवन की आचार संहिता है। ईसाईयत और इस्लाम सहित सभी पंथ, मत और मजहब धर्म नहीं हैं। वे पंथ/रिलिजन हैं। प्रत्येक पंथ और रिलिजन का कोई न कोई पैगम्बर या देवदूत होता है। सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य धर्म प्रचार के अधिकार के विरुद्ध थे। सभा में तजम्मुल हुसैन ने कहा था कि, "मैं आपसे अपने तरीके से मुक्ति के लिए क्यों कहूं? आप भी मुझे ऐसा क्यों कहें? आखिरकार धर्म प्रचार की आवश्यकता क्या है?" लोकनाथ मिश्र ने धर्म प्रचार को गुलामी का दस्तावेज बताया था। के. एम. मुंशी ने कहा, "भारतीय ईसाई समुदाय ने इस शब्द के रखने पर जोर दिया। परिणाम कुछ भी हो। हमने जो समझौते किए हैं। हमें उन्हें मानना चाहिए।" इसका अर्थ यही है कि भारतीय नेतृत्व ने अंग्रेजी सत्ता से धर्म प्रचार के अधिकार को संविधान में जोड़ने का समझौता किया था?

धर्मांतरित अनुसूचित जातियों, दलितों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। धर्मांतरण को वास्तव में मतांतरण कहना चाहिए। धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का होने के आधार पर आरक्षण देना भारतीय समाज के साथ कदम मिलाकर चलने वाले मूल दलितों को नुकसान पहुंचाना है। दलितों ने तमाम कष्ट सहे हैं। वे राष्ट्रजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनके हिस्से के अवसर धर्मांतरित ईसाईयों, मुस्लिमों को नहीं दिए जा सकते। सर्वोच्च न्यायपीठ ने इस विचार को खारिज कर दिया है। धर्मांतरण के कृत्य में जुटे मिशनरीज को गरीबों, अनुसूचित जातियों को धर्मांतरण का चारा फेंकने की प्रवृत्ति रोकनी होगी। सर्वोच्च न्याय पीठ का ताजा फैसला स्वागत योग्य है।

‘वोक संस्कृति’ से व्यवस्था ध्वस्तीकरण

‘सांस्कृतिक मार्क्सवाद’ सॉफ्ट पॉवर कोलोनाइजेशन का हथियार

शिवेश प्रताप

2004 मेंटाइम पत्रिका के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एकप्रसिद्ध ब्रिटिश–अमेरिकी इतिहासकार इतिहासकार नियाल फर्गुसन ने कहा है, ”सॉफ्ट पावर बहुत शांत होता है। हमें सेना या आर्थिक हार्ड पावर को प्रयोग करने की आवश्यकता ही क्या है जबकि हमारे पास इससे बेहतर संसाधन सॉफ्ट पावर के रूप में मौजूद हैं।”

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने जब नागपुर में विजयदशमी के अवसर पर अपने संबोधन में ’सांस्कृतिक मार्क्सवाद’ और ’वोक संस्कृति’ पर अपना विचार रखा तो नियाल फर्गुसन की इस बात के दीर्घकालिक मायने भारत के परिप्रेक्ष्य में समझे जा सकते हैं। खुद को ‘जागृत’ या ‘वोक’ कहने वाले लोग आधुनिकता के नाम पर पारंपरिक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री भागवत जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये विचारधारा विनाशकारी और सर्वभक्षी है, जो भारतीय समाज के मूल्यों और उसकी सांस्कृतिक धरोहर के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये लोग न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सुव्यवस्था, नैतिकता, उपकार और गरिमा के विरोधी हैं। उनके अनुसार, ये ताकतें समाज में अलगाव और भेदभाव पैदा करके उसे कमजोर करना चाहती हैं ताकि विनाशकारी शक्तियों का प्रभुत्व कायम किया जा सके।

’वोक संस्कृति’ की आलोचना करते हुए भागवत जी ने कहा कि ये लोग शिक्षा और मीडिया पर नियंत्रण करके समाज को भ्रम, भय और घृणा के चक्रव्यूह में फंसाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि ’वोक’ विचारधारा का उद्देश्य शिक्षा, संस्कृति, राजनीति और सामाजिक वातावरण को अराजक और भ्रष्ट बनाना है, जिससे समाज भीतर से कमजोर हो जाए। भागवत जी ने कहा कि इस विचारधारा से प्रभावित लोग नहीं चाहते कि भारत अपने दम पर खड़ा हो और इसलिए वे समाज की एकजुटता को तोड़ने के लिए सक्रिय हैं। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वे भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित सकारात्मक बदलावों के साथ आगे बढ़ें, जिससे न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया को सही दिशा मिल सके।

कुल मिलाकर मोहन भागवत जी नेसॉफ्ट पॉवर कोलोनाइजेशन पर आघात करते हुए भारतीय समाज को इसके विरुद्ध जागरूक करने का प्रयत्न किया।आइये मोहन भागवत जी के इन विचारों का गहराई से जाननें का प्रयत्न करते हैं।

दुनिया में हुए लोकतांत्रिक जागरण एवं संचार क्रांति के द्वारा जब औपनिवेशिक शक्तियों के लिए सामाजिक व शारीरिक गुलामी संभव नहीं रही तो वैचारिक गुलामी का एक नया दौर प्रारंभ किया गया जिसे सॉफ्ट पॉवर कोलोनाइजेशन कहा जाता है। इस नए दौर की औपनिवेशक शक्तियां धर्मान्तरणकारी, पूंजीवादी और वामपंथी स्वरूपों में इस वैचारिक गुलामी को प्रभावी बनाते दिखाई देती हैं। वैश्विक स्तर पर इस्लाम एवं ईसाइयत के बीच चलने वाला घोषित युद्ध हो या पूंजीवादी देशों एवं वामपंथी विचारधारा के बीच का अघोषित युद्ध, भारत इन अधर्मी ताकतों के लिए जनसँख्या, भूगोल, जलवायु, आदि सभी रूपों से अपने प्रदर्शन के लिए सबसे सुखद संभावनाओं वाला देश दिखाई पड़ता है। दुनिया भर में 1991 में हुए साम्यवादी–वामपंथी शक्तियों के पराभव के बाद चीन धीरे–धीरे एक पूंजीवादी देश बन गया तथा भारतीय वामपंथी विचारधारा भारत में एक परिजीवी बनकर इस्लामिक एवं ईसाई धर्मान्तरण एवं पूंजीवादी ताकतों की ठ टीम के रूप में कार्य कर रही है। इसका एकमात्र लक्ष्य है भारत की सनातन परंपरा का नुकसान कर इसे इस्लामिक एवं ईसाई ताकतों का उपनिवेश बना दिया जाए। इन्हीं उपरोक्त विचारों के क्रम में विगत 3 दशाब्दियों से वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के नाम पर पूंजीवादी देशों (अमेरिका, यूरोप एवं चीन) के द्वारा भारत को आर्थिक उपनिवेश बनाने एवं धर्मान्तरण की शक्तियों द्वारा इसे अरब एवं वेटिकन का धार्मिक उपनिवेश बनाने हेतु भारत की कुटुंब प्रणाली पर लगातार आघात किया जा रहा है क्यों की यही परिवार

व्यवस्था इन कुचक्रों हेतु सबसे बड़ी बाधा बन रहा है।

उपभोक्तावाद के निशाने पर भारतीय:

उपभोक्तावाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार ऐसे विचार गढ़े जाते हैं की जो व्यक्ति बड़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, वे बेहतर स्थिति में होते हैं। थोरस्टीन वेबलन 19वीं सदी के अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थे, जिन्हें अपनी पुस्तक "द थ्योरी ऑफ़ द लीजर क्लास" (1899) में "विशिष्ट उपभोग" शब्द गढ़ा। विशिष्ट उपभोग किसी की सामाजिक स्थिति को दिखाने का एक साधन है, खासकर जब सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित सामान और सेवाएँ उसी वर्ग के अन्य सदस्यों के लिए बहुत महंगी हों। आमतौर पर उपभोक्तावाद का मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों की अत्यधिक भौतिकवाद की जीवनशैली अपनाने की प्रवृत्ति से है, जो कि रिफ्लेक्सिव, अत्यधिक उपभोग के इर्द–गिर्द घूमती है। सांस्कृतिक पारिवारिक ढांचे में एक ओर जहाँ एक भाई दुसरे के सुख दुःख में भाग लेकर, अपने माता पिता की सेवा करने में सुख और शांति महसूस करता था, उसे अब उपभोक्तावाद ने कमाई के अनुरूप अपने भौतिक सुखों की वृद्धि के मानक पर विभाजित कर दिया।

उपभोक्तावाद ने विज्ञापन उद्योग के माध्यम से अपने उपभोक्ताओं को जन संस्कृति के अगुआ के रूप में स्थापित करती है जो सक्रिय और रचनात्मक लोगों के बजाय ब्रांडों द्वारा नियंत्रित लोगों को लोकप्रिय बनती है।ऐसे नियोजित पूर्वाग्रह उपभोक्तावाद को जन्म देते हैं। अगर इन पूर्वाग्रहों को खत्म कर दिया जाए, तो बहुत से लोग कम उपभोक्तावादी जीवनशैली अपनाएंगे। उपभोक्तावाद का एक उदाहरण हर साल मोबाइल फोन के नए मॉडल पेश करना है। जबकि कुछ साल पुराना मोबाइल डिवाइस पूरी तरह से काम करने लायक और पर्याप्त हो सकता है, उपभोक्तावाद लोगों को उन मोबाइल को छोड़ने और नियमित आधार पर नए मोबाइल खरीदने के लिए प्रेरित करता रहता है। जबकि यही पैसा परिवार के भाई, भतीजे, बेटी, बुजुर्ग माता–पिता की जरूरतों में खर्च हो सकता था लेकिन उपभोक्तावाद ने इस सामाजिक साहचर्य को ख़त्म कर दिया। इसी उपभोगवादी समाज में अब अपने रिश्तेदारों, मामा, चाचा, फूफा के यहाँ रहकर पढ़ने–लिखने, जीवन बनाने जैसे उदहारण भी दिखना लगभग शून्य हो चुका है।

इस अर्थ में, उपभोक्तावाद को पारंपरिक मूल्यों और जीवन के तरीकों के विनाश, बड़े व्यवसायों द्वारा उपभोक्ता शोषण, पर्यावरण क्षरण और नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभावों में योगदान देने के लिए व्यापक रूप से समझा जा सकता है।

परिवार/ विवाह संस्कार पर आघात:

कुटुंब व्यवस्था का आधार स्तम्भ है विवाह संस्कार। पति एवं पत्नी मिलकर वंश परंपरा में 3 पीढ़ियों का पलान, पोषण करते हैं, जिसमें उनके माता–पिता एवं बच्चे शामिल होते हैं। पूंजीवादी शक्तियों के भारत में पनपने में यह सबसे बड़ी बाधा हैं क्यों की एक ही छत के नीचे स्त्रियाँ मिलकर सभी गृहकार्य कर लेती हैं और पुरुष मिलकर आर्थिक एवं सामाजिक दायित्व निभाते हैं। बुजुर्ग, बच्चों के साथ संवाद कर उनके जिज्ञासाओं को पुष्ट करते हुए उन्हें सामाजिक संस्कार देते हैं। कल्पना करिए की यही विवाह संस्कार टूटने से क्या प्रभाव पड़ेगा। बुजुर्गों को मोटी फीस देकर वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा, उनके लिए नर्स, कुक, क्लीनर आदि सेवक सेविकाएँ सब पैसे पर आयेंगे। इसके अलावा सभी स्त्री एवं पुरुष जो एकल जीवन शैली में रहेंगे वो भी अपनी सभी जीवन से जुडी आवश्यकताओं हेतु बाज़ार पर निर्भर होंगे। घर से रसोई कक्ष ख़त्म होगा तो रेस्टोरेंट व्यवसाय को गति मिलेगी। इसके अलावा कपड़े धुलने हेतु लांड्री, सफाई हेतु क्लीनर आदि सभी आवश्यकताओं हेतु व्यक्ति बाज़ार पर निर्भर होगा। 'यूज एंड थ्रो' की संस्कृति विकसित होने से पूंजीवाद पर निर्भर व्यक्ति एक इकाई के रूप में भाव शून्य होकर केवल पैसे कमाकर अपनी जरूरतों को पूर्ण करने का एक यन्त्र बन जाएगा।

विवाह परंपरा के समाप्त होने से व्यक्ति का कुटुंब समाप्त होगा तो एकल व्यक्ति का ब्रेनवाश करना धर्मान्तरण गिरोहों के लिए बेहद आसान होगा। किसी को वृद्धाश्रम की सेवा के नाम पर मतांतरित किया जायेगा तो किसी को सांसारिक मुक्ति के नाम पर। बच्चे जो अपने बाबा दादी से अलग परिचारिकाओं के संरक्षण में पलेंगे, या माता पिता के साथ एकाकी जीवन में होंगे तो उनके भीतर मानवीय संवेदनाएं और सामाजिक संस्कार शून्य होंगे। इससे उनका ब्रेनवाश आसानी से संभव होगा। अभी सम्पूर्ण विश्व ने [illegible] के द्वारा यूरोप के बच्चों को आतंक हेतु इन्टरनेट पर प्रभावित करते देखा गया जिससे वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ी हैं। यह उदहारण अब केरल और बंगाल आदि भारतीय प्रदेशों में भी दिखाई दे रहे हैं।

फ्री-सोल और DINK संस्कृति के कुचक्र में नई पीढ़ी:

"DINK" एक संक्षिप्त नाम है जिसका अर्थ है "डबल इनकम, नो चाइल्ड्स", जो उन दम्पतियों को संदर्भित करता है जो स्वेच्छा से निःसंतान हैं। विवाह परंपरा का विरोध और यौन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लिव–इन संबंधों के प्रचार द्वारा भारत के सामाजिक चरित्र हरण के पीछे धर्मांतरणवादी समूहों का योगदान है। इसके लिए इस प्रकार के विमर्श को प्रमुखता दी जाती है जिसमें युवाओं को बताया जाता है की आप मुक्त इकाई हो, "जिंदगी न मिलेगी दोबारा" आदि जुमलों को आधार बनाकर माता, पिता, समाज एवं परम्पराओं को धता बताकर केवल अपने करियर निर्माण पर ध्यान देने की बात कही जाती है। इससे पूंजीवादी कंपनियां एक मानव को पारिवारिक इकाई से औद्योगिक इकाई के रूप में परिवर्तित कर केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं और जब एक आयु और उर्जा के बाद आप को एहसास होता है की परिवार और समाज की आवश्यकता है तब तक देर हो चुकी होती है और समाज के प्रवाह में पीछे छुट गए युवा डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। यही अवसादग्रस्त युवा हॉस्पिटल, नशीली दवाओं, शराब, नाईट क्लब के व्यवसाय को फलने फूलने में मदद करते हैं और जब जवानी का आवेग थमता है तो निराश और एकाकी जीवन धर्मांतरणवादी समूहों का सबसे उपयुक्त शिकार बन जाता है।

फ्री–सोल माधुरी गुप्ता की कहानीः माधुरी गुप्ता भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी थीं। वे 52 साल की थीं, लेकिन अविवाहित थीं। उन्होंने मिस्र, मलेशिया, जिम्बाब्वे, इराक और लीबिया समेत कई देशों में वरिष्ठ पदों पर काम किया था। उर्दू पर उनकी अच्छी पकड़ के कारण उन्हें पाकिस्तान भेजा गया, जहाँ उन्हें वीज़ा के साथ मीडिया का प्रभार भी दिया गया। पाकिस्तान में माधुरी गुप्ता की मुलाकात जमशेद उर्फ जिम्मी नाम के 30 साल के शख्स से हुई। युवक ने अपनी वाकपटुता और हाजिरजवाबी से माधुरी गुप्ता का दिल जीत लिया। इतना ही नहीं माधुरी गुप्ता ने इस्लाम धर्म भी अपना लिया। माधुरी गुप्ता जमशेद के प्यार में देशद्रोही हो गई है और वो भारत की गुप्त सूचनाएं जमशेद को दे रही थी। दरअसल जमशेद आईएसआई का जासूस था। आईएसआई ने उसे ट्रेनिंग दी और माधुरी गुप्ता को फंसाने के लिए उसका इस्तेमाल किया क्योंकि जब आईएसआई को पता चला कि माधुरी गुप्ता 52 साल की उम्र में अविवाहित है तो वो जरूर किसी साथी की तलाश में होगी।

भारतीय त्योहारों पर कुचक्रः

भारत की परिवार व्यवस्था पर आघात करने के लिए ऐसे सभी भारतीय तीज त्यौहारों पर आघात किया जा रहा है जिसे भारतीय परिवार मिलजुल कर मनाते हैं। इसके लिए औपनिवेशिक मानसिकता वाले धर्मांतरण गैंग स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं कॉरपोरेट संस्थाओं आदि में ईसाइयों के त्योहार पर छुट्टियां प्रदान करते हैं परंतु हिंदू त्योहारों पर धीरे–धीरे लंबी छुट्टियां को समाप्त कर एकदिवसीय छुट्टी दी जाती है। कॉन्वेंट आधारित स्कूली शिक्षा एवं वामपंथी नेक्सस के द्वारा नियंत्रित होने वाले विश्वविद्यालयों के द्वारा जानबूझकर बच्चों की परीक्षाओं को हिंदू त्योहारों के इर्द–गिर्द डाला जाता है जिससे चाहते हुए भी कोई परिवार इकट्ठा होकर त्योहारों का आनंद न ले सके। कॉर्पोरेट कंपनियों में 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक घोषित रूप से छुट्टियां कर दी जाती हैं क्योंकि इस दौरान इसाई क्रिसमस के लिए छुट्टियां मनाते हैं लेकिन तर्कसंगत बात यह है कि हिंदुओं के लिए ऐसी छुट्टियों का क्या मतलब?

पूंजीवादी वामपंथी नेक्सस ने भारत में एक बड़ा विमर्श खड़ा कर दिया की दीपावली मनाने से प्रदूषण होता है, होली मनाने से पानी की बर्बादी होती है, दशहरा मनाने से वायु प्रदूषण होता है। करवाचौथ जैसे पति–पत्नी के पवित्र त्यौहार को पितृसत्तात्मक कहकर इसलिए आलोचना की जाती है क्योंकि यह अब्राहमइक मज़हबी बहुपत्नी व्यवस्था के विरुद्ध एक पत्निधर्म संबंध की मजबूती को दर्शाता है। पश्चिमी त्योहारों जैसे वैलेंटाइन डे, थैंक्सगिविंग, क्रिसमस आदि पर महंगे उपहार के द्वारा पूंजीवाद को प्रमोट किया जाता है।

LGBT एक सुनियोजित षड्यंत्रः

वामपंथ का लम्बे समय तक हासिये पर जाने के बाद, यूरोप में इसकी वापसी अचानक एक नए कलेवर में हुई। अचानक जगह–जगह यूरोप में गे–प्राईड, स्ळठज प्राइड रैली आदि होने लगी और उसके प्रायोजक यह बड़े–बड़े फैशन ब्रांड है क्योंकि इन फैशन ब्रांड को यह लगता है कि जब आदमी के पास पैसा होगा तब आदमी उनके ब्रांड पर पैसा खर्च करेगा और किसी भी आदमी की कमाई का 90% हिस्सा उसके परिवार पर खर्च हो जाता है इसीलिए यह फैशन ब्रांड LGBT कल्चर को खूब बढ़ावा दे रहे हैं। बिजनेस हाउस चाहते हैं कि लड़के और लड़कियां विवाह ना करें अपनी यौन कुंठा एक दूसरे के साथ मिटाएं ताकि उनकी जो कमाई है वह कमाई परिवार पर खर्च ना हो फिर इस तरह की फैशन

मैगजीन में तस्वीरें देखकर उनके ब्रांड पर पैसे खर्च करें। अमेरिका भी तेजी से इसकी गिरफ्त में आ रहा है। मुझे बराक ओबामा की वह चेतावनी याद आ रही थी कि जब वह अमेरिकी युवको को संबोधित करते हुए कह रहे थे अगर तुम अभी भी नहीं जागे तब भारत के युवा तुम्हारी सारी नौकरी–बिजनस खा जाएंगे।

अमेरिका, आयरलैंड और दूसरे तमाम देशों में गर्भपात पर ईसाइयत का हवाला देकर प्रतिबंध लगवा देता है। गर्भपात की इजाजत नहीं देता वही देश दुनिया भर में गे और लेस्बियन कल्चर पर खामोश क्यों है ? इसका उत्तर है की पूंजीवाद की चर्च से जुगलबंदी एवं वामपंथ की खोल में छुपकर प्रकट हुआ इस्लाम अपने अपने स्वार्थों हेतु बाजार में संयुक्त होकर भारत के संस्कृति और संस्कारों के विनाश हेतु तैयार हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों से हम भारतीय परिवारों के लक्षित रूप से टूटने की भयावहता को समझ सकते हैं और इसके दुष्परिणाम भारतीय समाज पर पड़ना दिखाई देना प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम देश विदेश में फैले भारतवंशी परिवारों हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है क्यों की यही परिवार सम्पूर्ण भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और अध्यात्मिक विरासत के परिचायक हैं।

ओटीटी जैसे नए मंचों से षड़यंत्रः

भारत में ओटीटी प्लेटफार्म्स की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता ने मनोरंजन के नए द्वार खोले हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ नकारात्मक प्रभाव भी सामने आए हैं। इन प्लेटफार्म्स पर कई ऐसे वेब सीरीज और फिल्मों का प्रसारण हो रहा है, जिनमें हिंसा, अश्लीलता और आपत्तिजनक सामग्री को प्रमुखता दी जाती है। इन प्लेटफार्म्स पर आसानी से उपलब्ध कंटेंट में जाति, धर्म और सामाजिक मुद्दों को ऐसे तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, जो समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ावा देता है।

ओटीटी कंटेंट पर नियंत्रण की कमी और सेंसरशिप न होने के कारण, निर्माता अक्सर विवादास्पद विषयों का सहारा लेते हैं, जिनसे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। कई सीरीज में धर्म और सांस्कृतिक प्रतीकों का अपमानजनक चित्रण होता है, जिससे समाज में तनाव और असहमति बढ़ती है। दर्शकों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वह किस प्रकार की सामग्री का सेवन कर रहे हैं और उसका उनके विचारों और आचरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सरकार और समाज को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ओटीटी प्लेटफार्म्स पर प्रसारित सामग्री स्वस्थ, जिम्मेदार और समाज को एकजुट करने वाली हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित और सकारात्मक सामाजिक वातावरण में विकसित हो सकें।

श्री मोहन भागवत जी द्वारा उठाए गए बिंदु यह दर्शाते हैं कि ऐसी विचारधाराएं जो सांस्कृतिक मार्क्सवाद या वोक विचारधारा के तहत आती हैं, भारतीय समाज में भेदभाव, भ्रम, और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करती हैं। इनका उद्देश्य पारंपरिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं और मूल्यों को ध्वस्त करना है, ताकि समाज में अराजकता और विभाजन पैदा हो सके। वोक संस्कृति के प्रति सावधानी बरतते हुए हमें अपने समाज की एकता, सांस्कृतिक धरोहर और नैतिकता को बनाए रखना होगा।यह अत्यावश्यक है कि भारतीय समाज अपने सांस्कृतिक मूल्यों पर गर्व करे और अपने रास्ते पर अडिग रहते हुए अपने सांस्कृतिक मूल्यों को अपनी शक्ति बनाकर विश्व मंच पर सॉफ्ट पॉवर के रूप में प्रसारित करें जैसे वर्त्तमान में विश्व योग, आध्यात्म और आयुर्वेद के रूप में हमारी सांस्कृतिक विरासत को स्वीकार कर रहा है। इसतरह से भारत अपने दम पर खड़ा होकर दुनिया के सामने एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभरेगा जिसका नेतृत्व लम्बे समय तक विश्व को आलोकित कर सकेगा।

ऋषियों की संतान हैं भारत की समस्त जनजातियाँ

रमेश शर्मा

भारतीय वैदिक चिंतन और विज्ञान का अनुसंधान आपस में मेल खाते हैं यदि इन दोनों को आधार बनाकर विचार करें तो हम इस निष्कर्ष पर सरलता से पहुँच जायेंगे कि भारत में निवासरत समस्त जनजातियाँ ऋषियों की संतान हैं ।

सत्य के अन्वेषण केलिये यह आवश्यक है कि हमारा दृष्टिकोण व्यापक हो और हम किसी एक दिशा या धारणा से मुक्त होकर विचार करें। यह सिद्धांत जीवन के प्रत्येक आयाम पर लागू होता है । आज हमें भले वन में निवासरत सभी जनजातीय बंधु और नगरों में विलासिता का जीवन जीने वाले समाज पृथक लग सकते हैं किन्तु यदि अतीत की विकास यात्रा का अध्ययन करें तो यह जानकर हमें आश्चर्य होगा कि दोनों जीवन एक रूप हैं। और सभी ऋषियों की संतान हैं। ऐसा नहीं है कि नगरों में जीवन का अंकुरण अलग हुआ और वनों में अलग। नगर या ग्राम तो जीवन यात्रा का विकसित स्वरूप हैं। जो समय के साथ विकसित हुये। जीवन का अंकुरण तो वनों में ही हुआ। और वनों में ही मनुष्य जीवन विकास प्रक्रिया आरंभ हुई। आज हम समाज को नगरवासी, ग्रामवासी और वनवासी तीन शब्दों से परिभाषित करते हैं। पर वैदिक अवधारणा ऐसी नहीं है । वैदिक वाङ्मय में जनजाति ही सबसे प्रारंभिक शब्द है। वनवासी ग्रामवासी और नगरवासी शब्द तो बाद में आये। ऋग्वेद में समस्त मनुष्य जाति के लिये जनजाति शब्द ही उपयोग हुआ है । ऋग्वेद में "जन" शब्द 127 बार आया है। जनपद, महाजनपद, जन संख्या और शासक के लिये राजन् शब्द का उपयोग हुआ है। आज की जनतांत्रिक प्रणाली में जनप्रतिनिधि जैसे शब्द भी "जन" से ही बने हैं। जो समस्त मनुष्य जाति के लिये उपयोग होते हैं। जब हम "जनसंख्या" "जन भावना" या "जन प्रतिनिधि" जैसे शब्द उपयोग करते हैं तब इसका आशय किसी क्षेत्र, वर्ग या धर्म के अनुयायियों अथवा किसी संस्कृति विशेष के मनुष्यों के लिये उपयोग नहीं होता । यह समस्त मनुष्यों के प्रति संकेत करता है । भारतीय चिंतन में यह स्पष्ट है कि समस्त मनुष्य जाति ऋषियों की संतान हैं। उसमें यह वर्गीकरण है ही नहीं है कि कुछ लोग ऋषि संतान हैं और कुछ नहीं । ऋग्वेद के पुरुष सूक्त लेकर पुराणों क व्याख्या तक इस तथ्य को बारम्बार दोहराया गया है कि सभी मनुष्य सप्त ऋषियों की संतान हैं। जनजातियों में भी गोत्र और उपनाम परंपरा है जो पूरी तरह ऋषियों के नाम से मेल खाती है ।

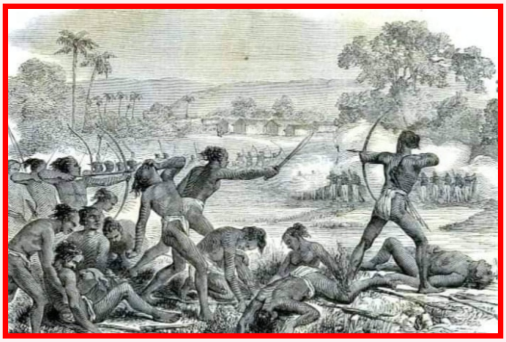

सृष्टि विकास और ऋषि परंपरा का आरंभ

भारतीय अवधारणा के अनुसार सृष्टि विकास क्रम में सबसे पहले स्वर उत्पन्न हुआ । स्वर से पाँच तत्व उत्पन्न हुये । इनसे अग्नि, जल, धरती, आकाश और पवन बने। समय के साथ करोड़ो वर्षों में धरती पर वन और पर्वत उत्पन्न हुये। कम स`कम साढ़े तीन करोड़ वर्ष पहले वन और पर्वत अस्तित्व में गये थे और इसके लगभग डेढ करोड़ वर्ष बाद मनुष्य जीवन अस्तित्व में आया । इस प्रकार मनुष्य जीवन की उत्पत्ति लगभग दो करोड़ वर्ष पहले हुई । इसी बात को भारतीय मनीषियों ने कुछ इस प्रकार कहा कि करोड़ो वर्षों तक धरती के रिक्त रहने के बाद ब्रह्मा जी ने मनुष्य जीवन के विकास का विचार किया और प्रचेताओं को उत्पन्न किया । इन प्रचेताओं को मनुष्य जीवन के विकास वृद्धि का निर्देश दिया । किन्तु प्रचेता तपस्या में ही लीन हो गये । उनके तपस्या में लीन हो जाने के कारण मनुष्य जीवन का विकास क्रम आगे बढ़ा ही नहीं। तब पृथ्वी के आग्रह पर ब्रह्मा जी ने सात ऋषियों और सात कन्याओं को उत्पन्न किया और मनुष्य जीवन की वृद्धि का निर्देश दिया। प्रथम मन्वंतर में जो सप्त ऋषि हुये उनमें कश्यप, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, भृगु और वशिष्ठ हैं। भारतीय समाज में गौत्र परंपरा इन्ही सप्त ऋषियों से आरंभ हुई और इन्हीं सप्तऋषियों वंशजों से 127 गोत्र प्रवर्तक ऋषि हुये।

जनजातियों में ऋषि नामों की गोत्र परंपरा

भारत में एक गोत्र परंपरा है जो सभी वर्णों में मिलती है । गोत्र का जन्म जाति या क्षेत्र से कोई अंतर नहीं आता । गोत्र प्रवर्तक ऋषि कुल 127 माने गये हैं। इन सभी ऋषियों के नाम वेद रचना में मिलते हैं। हम कुछ प्रमुख गोत्र देखें। कश्यप एक गोत्र प्रवर्तक ऋषि हैं। कश्यप गोत्र ब्राह्मण में भी है और सेवा शिल्प वर्ग में भी । जनजातियों में भी "कश्यप" गोत्र होता है । छत्तीसगढ़ में बलिराम कश्यप जनजाति वर्ग से प्रमुख नेता हुये हैं । एक गोत्र प्रवर्तक ऋषि मंडूक हैं। जनजातियों में मुंडा वर्ग होता है । एक बड़े क्राँतिकारी हुये हैं बिरसा मुंडा। एक गोत्र प्रवर्तक ऋषि उर्व हैं जनजातियों में उरांव होते हैं। एक ऋषि मुरु हुये। जनजातियों में मारू और मुरिया होते हैं। ऋषि भृगु हुये हैं। भृगु वंशी ब्राह्मणों में एक शाखा भगौरिया होती है । कुल मिलाकर भारत में रहने वाले प्रत्येक जन के पूर्वज ऋषि हैं भले वह नगर में रहता हो, ग्राम में रहता हो अथवा वन में। इस नाते भारत की प्रत्येक जनजाति के पूर्वज भी ऋषि रहे हैं।

'सनातन के मूल तत्व'

विनोद कुमार सर्वोदय

सनातन में समाहित हिंदुत्व के मूल तत्वों और सिद्धांतों की अवहेलना करके वर्षों से राष्ट्रीय हितों को आहत किया जाना प्रायः सामान्य होता है। देश की प्राचीन संस्कृति व सभ्यता और प्रेरणाप्रद आदर्श महापुरुषों के विरुद्ध नकारात्मक वातावरण बनाना प्रगतिशीलता माना जाने लगा है। जबकि वर्तमान शासन ने आज विश्व में भारतीय अस्मिता और संस्कृति को प्रोत्साहित करके उसे सम्मानजनक और प्रशंसनीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है स राष्ट्रीय राजनीति में सनातन संस्कृति के रक्षार्थ हमारा शासन पूर्णतः समर्पित होकर साहसिक निर्णय ले रहा है तो उसको हटाने के लिए धर्म द्रोही और भारत विरोधी षडयंत्रकारियों की टोलियां सनातन और हिन्दुत्व पर विषैले वक्तव्यों से आक्रमक हो रही हैं।

लोकतंत्र में मुसलमानों और ईसाईयों की वोटों को एकजुट करने के लिए ऐसे तत्वों ने भारतीय अस्मिता और संस्कृति को मिटाने का लक्ष्य बना लिया है स ऐसे अनेक अपमानजनक, आपत्तिजनक एवं जहरीले भाषण देने वाले तत्वों के विरुद्ध हिंदुओं के आक्रोशित होने को सामान्यतः अवैधानिक और अनुचित माना जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि हमारी सनातन संस्कृति ऐसे अन्याय सहने को भी पाप कर्म ही मानती है।

क्या हमें ऐसे आत्मग्लानि पूर्ण अत्याचारों पर मौन रहना चाहिए? क्या इसलिए अहिंसा व सहिष्णुता आदि सह्रदयता का पाठ हमको व हमारे पिता–दादा–पितामाह आदि पूर्वजों को शताब्दियों से पढ़ाया जाता रहा। वास्तव में मुगल काल के आरंभ से ही हिंदुओं को सहिष्णुता, अहिंसा, उदारता व अतिथि देवो भवः आदि विशेष का पाठ पढ़ाया गया । यहाँ तक कुछ अनुचित नहीं था। परंतु हम अपने स्वाभिमान को खोकर और अपने अस्तित्व को संकट में डाल कर इन सदगुणों को ढोते रहें तो क्या यह न्यायसंगत कहलाया जा सकता है?

हम अपनी आस्थाओं के प्रतीकों, मंदिर–मठों और तीर्थ स्थलों के साथ साथ देवी–देवताओं के मान–अपमान के प्रति भी सजग व सतर्क न रहें तो ये हमारी कैसी सहिष्णुता थी ? जब हम अपने ऋषि–मुनियों और आचार्यों के ज्ञान–विज्ञान को भी सुरक्षित न रख सके और अपनी प्राचीन धरोहरों को ध्वस्त होते देखते रहे तो क्या ऐसे में अहिंसात्मक बने रहना उचित था ? जब हमारी अरबों–खरबों की सम्पदा को लूटा जाता रहा और लाखों–करोड़ों हिंदुओं का बलात धर्मांतरण और नरसंहार किया जाता रहा तो भी हम भीरु और कायर बन कर सर्वधर्म समभाव से जुड़े रहे, क्यों? क्या यह सत्य नहीं है कि इसप्रकार अत्याचारी व अमानवीय कुकृत्यों द्वारा शताब्दियों से हिन्दू जनमानस का मनोबल तोड़ा जाता रहा ? विभिन्न आलोचकों के पक्ष–विपक्ष में विचार हो सकते हैं,परंतु इतिहास साक्षी है और प्रमाणस्वरुप सन् 712 के बाद मुगल व ब्रिटिश शासकों द्वारा हमारे सांस्कृतिक गौरव के पतन की आक्रोशित करने वाली गाथा का व्यापक ऐतिहासिक वृतांत सर्वविदित है। इसको झुठलाया नहीं जा सकता। हमें अपनी दासता और पतन का विस्तृत इतिहास पढ़ाया गया। हमारे इस इतिहास ने हमको दासता की मनोवृत्ति से बाहर नहीं निकलने दिया। हम उदार व सहिष्णु बने रहे परंतु उसके साथ ही कायरता और संघर्षहीनता आदि के अवगुणों से ग्रस्त होते रहे।

वरिष्ठ लेख़क व राष्ट्रवादी विचारक स्व. भानुप्रताप शुक्ल के वर्षों पूर्व प्रकाशित हुए एक लेख के अनुसार "देशवासियों का एक वर्ग दूसरे वर्ग पर, एक जमात दूसरी जमात पर, एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय के ऊपर आक्रमण करे, हिंसा,हत्या, लूट और आगजनी करे, बलात्कार और अपहरण करे या करने का प्रयास करे या करने लग जाये तो पीड़ित समाज क्या करे ? अपना घर जलने दें, अपनी बहुबेटियों के साथ बलात्कार करने दें ? उन्हें आमंत्रित करें कि आप हमारा घर फूकिये , हमारा घर लूटिये और हमारी ललनाओं को ले जाईये द्य अपनी खुशी के लिये आप जो चाहें करें हम कुछ नहीं कहेंगे"। वास्तव में स्व. शुक्ल जी के मन में धर्म द्रोहियों एवं जिहादियों आदि के विरुद्ध आक्रोश व हिंदुओं की विवशता के लिये

कितनी अधिक पीड़ा थी जो उन्होंने इतने अधिक स्पष्ट शब्दों से इस कटु सत्य को हृदयस्पर्शी बना दिया था।

याद रखो जब देश और समाज में अनाचार व दुराचार के विरुद्ध क्रोध भर जाता है तो वहाँ किसी चाणक्य को कुशासन के विरुद्ध शिखा खोलनी पड़ती है, क्योंकि धर्मरक्षा व राष्ट्र रक्षा का प्रश्न सर्वोपरि होता है। निसंदेह हमने अपने स्वर्ण युग और गौरवान्वित करने वाले इतिहास को भुला दिया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतिहास के उन प्रेरणादायी अध्यायों व ग्रंथों के ज्ञान का सानिध्य भी हमें न मिल सका। हम वसुधैव कुटुम्बकम को मानने वाले हैं तो "शस्त्रमेव जयते" के उदघोषक व शास्त्र एवं शस्त्र के पुजारी भी हैं। हम "अश्वमेघ यज्ञ" के लिए विजय रथ पर सवारी करने वाले महान योद्धाओं के वंशज होते हुए भी केवल सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के बाद उनके अहिंसात्मक प्रेम के प्रति आकर्षित हो गये, क्यों?

हमने सनातन के मूल ग्रंथ वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण व महाभारत आदि के ज्ञान व सिद्धान्तों को आत्मसात नहीं किया बल्कि तथाकथित धर्माचार्यों व कथावाचकों से प्रभावित होकर उनके अनुसार धर्म के पालन को ही धर्म मान लिया। ऐसी विपरीत परिस्थितियों ने भी हिंदुओं के आत्मस्वाभिमान को धूमिल करके आत्मग्लानि में जीने को विवश किया। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि देश के नीतिनियन्ताओं ने सनातन की विराटता के मूल तत्वों का अध्ययन नहीं किया और तथाकथित बुद्धिजीवियों और धर्माचार्यो की भाँति केवल उदार, भीरु व अहिंसावादी आदि बनें रहने का ही नकारात्मक पक्ष रखा है। जबकि अन्य मतावलंबियों ने सनातनी हिंदुत्व के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है, तभी तो भारत की गौरवशाली संस्कृति की रक्षार्थ प्रखर हिंदुत्व को रौद्र रुप धारण करने की निरंतर आवश्यकता बनी हुई है। सनातन धर्म के मूल तत्व और सिद्धान्त भी इसको उचित मानते हैं।

हमारे तथाकथित बुद्धिजीवियों को भी "हिन्दू" अस्मिता को स्वीकारना होगा साथ ही रामायण व महाभारत आदि महाकाव्यों को कपोल–कल्पित (मिथ्या) कहने वालों को इसकी सत्यता को समझना होगा। इन दिग्भ्रमित बुद्धिजीवियों को आक्रांताओं के दमनकारी इतिहास के अतिरिक्त राष्ट्र के स्वर्णिम काल व प्रेरणादायी इतिहास के अध्यायों का अध्ययन भी करना होगा? प्रमुख समाजवादी नेता स्व. डॉ राममनोहर लोहिया से एक बार प्रश्न किया गया था कि "हिंदुस्तान क्यों इतनी बार गुलाम हुआ"? इस पर उनका कहना था कि "हम दूब घास की तरह झुक जाते हैं, बहुत दबते हैं, हर स्थिति में समझौता करके आत्मसमर्पण कर देते हैं"। उन्होंने उपाय दिया कि आत्मसमर्पण की मनोवृति को खत्म करना सीखें और यह तभी होगा जब हिन्दू धर्म की तेजस्विता को हिन्दू प्रकट करने का प्रयास करेंगे।

इसलिये यह कहना अनुचित नहीं कि सजग हिन्दू समाज ही राष्ट्र को सुरक्षित रख सकता है। उसके लिये हिंदुओं को कट्टरवादी व साम्प्रदायिक भी कहा जायेगा उनकी अनेक आलोचनाएँ भी होगी। लेकिन यह कहना अशुद्ध नहीं की यही तेजस्वी, साम्प्रदायिक, आक्रोशित एवं श्रद्धालू हिन्दू ही धर्म व देश की रक्षा कर पायेंगे?

यह दुःखद है कि आज देशभक्त राष्ट्रवादियों को साम्प्रदायिक कहकर नकारात्मक आलोचना सहनी पड़ रहीं है। शत्रु देश पाकिस्तान व देशद्रोही जिहादियों पर जब आक्रमक होने के विचार का प्रसार होता है तब भी हिंदुओं को साम्प्रदायिक कहा जाता है। "समान नागरिक सहिंता" की चर्चा हो या फिर बंग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठियों को बाहर निकालने का जनाक्रोश हो हिंदुओं पर साम्प्रदायिकता का आरोप लगाना समान्यतः प्रगतिशील विचार बन जाता है। ऐसी विपरीत स्थिति में सनातन संस्कृति और भारत भूमि की सुरक्षा के लिये यदि हिंदुओं को कट्टरवादी,साम्प्रदायिक और संविधान का पालन करते हुए हिंसक भी होना पड़े तो इसमें अनुचित क्या है? महर्षि अरविन्द ने वर्षों पूर्व लिखा था कि "हमने शक्ति को छोड़ दिया है, इसलिए शक्ति ने भी हमें छोड़ दिया"। अतः सनातन में समाहित हिंदुत्व के मूल तत्वों को जानें शान्ति के लिये "शक्ति" के उपासक बनें।

अम्बेडकर, समरसता और संघ

देश में सामाजिक समता एवं सामाजिक न्याय के लिए प्रमुखता से स्वर मुखर करने वालों में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का नाम अग्रणीय है। उन्होंने बाल्यकाल से ही अस्पृश्यता का सामना किया था। विद्यालय से लेकर नौकरी तक उन्होंने भेदभाव का दंश झेला। इससे उनकी आत्मा चीत्कार उठी। उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। उन्होंने देशभर की यात्रा की तथा दलितों के अधिकारों के लिए स्वर मुखर किया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अस्पृश्यता के उन्मूलन के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि सेवक बनकर ही कोई बड़ा कार्य किया जा सकता है। इसलिए वह कहते थे– "एक महान आदमी एक आम आदमी से इस तरह से अलग है कि वह समाज का सेवक बनने को तैयार रहता है।"

डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने सामाजिक समरसता का जो स्वप्न देखा था, उसे साकार करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभियान चला रहा है। वास्तव में संघ अपने स्थापना काल से ही सामाजिक समरसता के लिए कार्य कर रहा है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगवार ने सामाजिक समरसता, एकता, अखंडता एवं सशक्त समाज के निर्माण के उद्देश से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। उनका कहना था कि हमारा निश्चय एवं स्पष्ट ध्येय ही हमारी प्रगति का मूल कारण है। हम लोगों को हमेशा सोचना चाहिए कि जिस कार्य को करने का हमने प्रण किया है, और जो उद्देश्य हमारे सामने है, उसे प्राप्त करने के लिए हम कितना कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक अधिकारी एवं शिक्षक को प्रत्येक के मन में यह विचार भर देना चाहिए कि मैं स्वयं ही संघ हूं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने चरित्र पर विचार करना चाहिए। अपने चरित्र को कभी भी कमजोर व क्षीण न होने दें। आप इस भ्रम में न रहें कि लोग हमारी ओर नहीं देखते। वे हमारे कार्य तथा हमारे व्यक्तिगत आचरण की ओर आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं। हमें केवल अपने कार्य में व्यक्तिगत चाल–चलन की दृष्टि से सावधानी नहीं बरतनी चाहिए, अपितु सामूहिक एवं सार्वजनिक जीवन में भी इसका ध्यान रखना चाहिए।

वह कहते थे कि बिना कष्ट उठाए और बिना स्वार्थ त्याग किए, हमें कुछ भी फल मिलना असंभव है। अपने समाज में संगठन निर्माण कर उसे बलवान तथा अजेय बनाने के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं करना है। इतना कर देने पर सारा कार्य स्वयं ही हो जाएगा। हमें आज सताने वाली सारी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। अनुशासन अपने संगठन की नींव है, इसी पर हमें विशाल इमारत को खड़ा करना है। किसी भी भूल से यदि नींव जरा सी भी कच्ची रह गई, तो इमारत का उस ओर का भाग ढल जाएगा। इमारत में दरार पड़ जाएगी और आखिर में वह संपूर्ण इमारत ढह जाएगी। जीवन में निस्वार्थ भावना आए बिना खरा अनुशासन निर्माण नहीं होता।

सामाजिक समरसता के बारे में उनका कहना था कि संघ का लक्ष्य भारत राष्ट्र को पुनः परम वैभव तक ले जाना है। समरसता के बिना, समता स्थायी नहीं हो सकती, और दोनों के अभाव में राष्ट्रीयता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा कार्य अखिल हिंदू समाज के लिए होने के कारण, उसके किसी भी अंग की उपेक्षा करने से काम नहीं चलेगा। सभी हिंदू भाइयों के साथ फिर वह किसी भी उच्च या नीच श्रेणी के समझे जाते हों, हमारा व्यवहार हर एक से प्रेम का होना चाहिए। किसी भी हिंदू भाई को नीच समझकर उसे दुत्कारना पाप है। वह कहते थे कि संघ का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें लोक संग्रह के तत्वों को भली भांति समझ लेना होगा। संघ केवल स्वयंसेवकों के लिए नहीं, अपितु संघ के बाहर जो लोग हैं, उनके लिए भी है। हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि उन लोगों को हम राष्ट्र के उद्धार का सच्चा मार्ग बताएं। वयोवृद्ध लोगों का संघ कार्य में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। वे संघ के महत्वपूर्ण कार्यों का दायित्व उठा सकते हैं। यदि प्रौढ़ लोग अपने प्रतिष्ठा और व्यवहार कुशलता का उपयोग संघ कार्य किए तो करें, तो युवा अधिक उत्साह से कार्य कर सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को उत्साह और हिम्मत से आगे आना चाहिए, और संघ कार्यों में जुट जाना चाहिए। इस समाज को जागृत एवं संगठित करना ही राष्ट्र का जागरण एवं संगठन है। यही राष्ट्र धर्म है। ध्येय पर अविचल दृष्टि रखकर, मार्ग में मखमली बिछौने हो या कांटे बिखरे हों, उनकी चिंता न

करते हुए निरंतर आगे ही बढ़ने को दृढ़ निश्चय वाले क्रियाशील तरुण खड़े करने पड़ेंगे। पूर्ण संस्कार दिए बिना, देशभक्ति का स्थाई स्वरूप निर्माण होना संभव नहीं है तथा इस प्रकार की स्थिति का निर्माण होने तक सामाजिक व्यवहार में प्रमाणिकता भी संभव नहीं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर ने सामाजिक समरसता पर विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि समरसता के लिए आत्मग्लानि दूर करने के लिए आत्मबोध को जगाना पड़ेगा, स्वार्थ के स्थान पर निस्वार्थ भाव का निर्माण करना पड़ेगा। सभी भेदों को भुलाकर एकात्मकता का भाव जागृत करना पड़ेगा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। महात्मा गांधी भी संघ के कार्यों से प्रभावित हुए थे। उन्होंने वर्ष 1934 में वर्धा में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शिविर देखा था, जिसमें सभी जातियों के लोग सम्मिलित हुए थे। इसमें दलित समाज के लोग भी थे। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि आपके संगठन में अस्पृश्यता का अभाव देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूं।

इसी प्रकार डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों से प्रभावित हुए थे। उन्हें वर्ष 1939 में पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण शिविर को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि शिविर में सभी जातियों के लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसमें दलित समाज के लोग भी सम्मिलित थे। शिविर में सबके साथ समान व्यवहार किया जा रहा था। उल्लेखनीय है कि हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथों में समरसता का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। भगवदगीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है– "पंडिताः समादर्शिनः" अर्थात विद्वान सबको समान दृष्टि से देखते हैं। कहने का अभिप्राय है कि विद्वान सबको समान मानते हैं तथा वे किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते।

भीमराव आम्बेडकर समानता पर सर्वाधिक बल देते थे। वह कहते थे कि अगर देश की अलग–अलग जातियां एक दूसरे से अपनी लड़ाई समाप्त नहीं करेंगी, तो देश एकजुट कभी नहीं हो सकता। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते , हमारे पास यह आजादी इसलिए है ताकि हम उन चीजों को सुधार सकें, जो सामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है जो हमारे मौलिक अधिकारों के विरोधी हैं। एक सफल क्रांति के लिए केवल असंतोष का होना ही काफी नहीं है अपितु इसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी बहुत आवश्यक है। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है और जो सुधारक समाज की अवज्ञा करता है, वह सरकार की अवज्ञा करने वाले राजनीतिज्ञ से ज्यादा साहसी हैं। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते तब तक आपको कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके किसी काम की नहीं। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्म–शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए।

भीमराव आम्बेडकर ने दलित समाज के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका कहना था कि आप स्वयं को अस्पृस्य न मानें, अपना घर साफ रखें। पुराने और घिनौने रीति–रिवाजों को छोड़ देना चाहिए। हमारे पास यह आजादी इसलिए है ताकि हम उन चीजों को सुधार सकें जो सामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेद–भाव और अन्य चीजों से भरी हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों की विरोधी हैं। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है, जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए।

वह कहते थे कि आदि से अंत तक हम सिर्फ एक भारतीय है। हम जो स्वतंत्रता मिली हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं? यह स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली हैं। जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती है। स्वोतंत्रता का अर्थ साहस है, और साहस एक पार्टी में व्यक्तियों के संयोजन से पैदा होता है। वह यह भी कहते थे कि देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। पानी की बूद जब सागर में मिलती है तो अपनी पहचान खो देती है। इसके विपरीत व्यक्ति समाज में रहता है पर अपनी पहचान नहीं खोता। इंसान का वन स्वतंत्र है। वह सिर्फ समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ, अपितु स्वयं के विकास के लिए भी पैदा हुआ है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है कि हम लोगों को समझना चाहिए कि लौकिक दृष्टि से समाज को समर्थ, सुप्रतिष्ठित, सद्धर्माधिष्ठित बनाने में तभी सफल हो सकेंगे, जब उस प्राचीन परंपरा को हम लोग युगानुकूल बना, फिर से पुनरुज्जीवित कर पाएंगे। युगानुकूल कहने का यह कारण है कि प्रत्येक युग में वह परंपरा उचित रूप धारण करके खड़ी हुइ है। कभी केवल गिरि–कंदराओं में, अरण्यों में रहने वाले तपस्वी हुए तो कभी योगी निकले, कभी यज्ञ–यागादि द्वारा और कभी भगवद्–भजन करने वाले भक्तों और संतों द्वारा यह परंपरा अपने यहां चली है।

बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह

जनजातीय समुदाय का समग्र विकास : मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवम्बर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वी जयंती की समारोह की शुरूआत के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस बनाने के क्रम में बिहार के जमुई का दौरा किया। श्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण किया। उन्होंने आदिवासी समुदायों के उत्थान तथा क्षेत्र के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अवसंरचना सुधार के उद्देश्य से 6640 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।

श्री मोदी ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम–जनमन) के तहत निर्मित 11,000 आवासों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने पीएम–जनमन के तहत शुरू की गई 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत अतिरिक्त 30 एमएमयू का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने और आजीविका सृजन में सहायता के लिए 300 वनधन विकास केन्द्रों (वीडीवीके) तथा आदिवासी छात्रों को समर्पित लगभग 450 करोड़ रूपये की लागत वाले 10 एकलब्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और जबलपुर में दो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों तथा श्रीनगर, जम्मू–कश्मीर और गंगटोक, सिक्किम में दो आदिवासी शोध संस्थानों का भी उद्घाटन किया, ताकि आदिवासी समुदायों के समृद्ध इतिहास और विरासत का दस्तावेज तैयार किया जा सके और इनका संरक्षण किया जा सके। श्री मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों में परिवहन–संपर्क को बेहतर बनाने के लिए 500 किलोमीटर लंबाई की नई सड़कों और पीएम जनमन के तहत सामुदायिक केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए 100 बहुउद्देश्यीय केन्द्रों (एमपीसी) की आधारशिला रखी।

उन्होंने आदिवासी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए 1,110 करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाले 25 अतिरिक्त एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी दी, जिनमें शामिल हैं—पीएम जनमन के तहत लगभग 500 करोड़ रूपये की लागत से 25,000 नए आवास और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत 1960 करोड़ रूपये से अधिक की लागत से 1.16 लाख आवास; पीएम जनमन के तहत 66 छात्रावास और डीएजेजीयूए के तहत 1100 करोड़ रूपये से अधिक की लागत से 304 छात्रावास; पीएम जनमन के तहत 50 नए बहुउद्देशीय केन्द्र, 55 मोबाइल मेडिकल यूनिट और 65 आंगनबाड़ी केन्द्र; सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए 6 सक्षमता केन्द्र और डीएजेजीयूए के तहत आश्रम स्कूलों, छात्रावासों, सरकारी आवासीय स्कूलों आदि के उन्नयन के लिए लगभग 500 करोड़ रूपये को लागत से 330 परियोजनाएं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर को बिहार के जमुई में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत की तथा लगभग 6,640 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया।

श्री मोदी ने विभिन्न राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत किया, जो भारत के विभिन्न जिलों में जनजातीय दिवस समारोहों में भाग ले रहे हैं। उन्होंने उन असंख्य जनजातीय भाइयों और बहनों का भी स्वागत किया, जो पूरे भारत से इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप में शामिल हुए हैं। आज के दिन को बहुत पवित्र बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली के साथ-साथ श्री गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती भी मनाई जा रही है तथा उन्होंने देशवासियों को इन त्योहारों की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन देशवासियों के लिए भी ऐतिहासिक है, क्योंकि आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। उन्होंने देशवासियों और विशेष रूप से जनजातीय भाइयों और बहनों को बधाई दी।

पिछले वर्ष जनजातीय गौरव दिवस पर धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्म गांव उलिहातु में होने का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष वे उस स्थान पर हैं, जिसने शहीद तिलका मांझी की वीरता देखी है।

उन्होंने कहा कि यह अवसर और भी विशेष है, क्योंकि देश भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि यह समारोह आगामी वर्ष भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने बिहार के जमुई में आज के कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए विभिन्न गांवों के एक करोड़ लोगों को भी बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें आज बिरसा मुंडा के वंशज श्री बुधराम मुंडा और सिद्धू कान्हू के वंशज श्री मंडल मुर्मु का स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

जनजातीय गौरव दिवस के आज के आयोजन और जनजातीय गौरव वर्ष की शुरुआत पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह समारोह एक बड़े ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने का एक ईमानदार प्रयास है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दौर में जनजातियों को समाज में वह मान्यता नहीं मिली, जिसके वे हकदार थे। जनजातीय समाज के योगदान पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जनजातीय समाज ही था, जिसने राजकुमार राम को भगवान राम में बदल दिया और साथ ही भारत की संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सदियों तक लड़ाई का नेतृत्व किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद के दशकों में स्वार्थी राजनीति के कारण जनजातीय समाज के ऐसे महत्वपूर्ण योगदान को मिटाने का प्रयास किया गया।

भारत की आजादी में जनजातियों का बहुत बड़ा योगदान

उलगुलान आंदोलन, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, भील आंदोलन जैसे भारत की आजादी के लिए जनजातियों के विभिन्न योगदानों की जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनजातियों का योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत के विभिन्न जनजातीय नेता जैसे अल्लूरी सीतारमन राजू, तिलका मांझी, सिधू कान्हू, बुधू भगत, तेलंग खारिया, गोविंदा गुरु, तेलंगाना के रामजी गोंड, मध्य प्रदेश के बादल भोई, राजा शंकर शाह, कुवर रघुनाथ शाह, टंट्या भील, जात्रा भगत, लक्ष्मण नाइक, मिजोरम के रोपुइलियानी, राज मोहिनी देवी, रानी गाइदिन्ल्यू, कालीबाई, रानी दुर्गावती देवी और कई अन्य लोगों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि मानगढ़ नरसंहार को भुलाया नहीं जा सकता, जहां अंग्रेजों ने हजारों जनजातियों को मार डाला था।

श्री मोदी ने कहा, "हमारी सरकार का ध्यान आदिवासी समाज की शिक्षा, आय और चिकित्सा पर है।" उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि आदिवासी बच्चे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सशस्त्र बलों या विमानन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आगे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि उनकी सरकार ने पिछले एक दशक में 2 नए आदिवासी विश्वविद्यालय जोड़े हैं, जबकि आजादी के बाद के छह दशकों में केवल एक केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय था। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के साथ-साथ कई डिग्री और इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किए गए हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि पिछले दशक में आदिवासी क्षेत्रों में 30 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं और बिहार के जमुई समेत कई नए मेडिकल कॉलेजों में काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर में 7000 एकलव्य स्कूलों का एक मजबूत नेटवर्क भी विकसित किया जा रहा है।

करीब 90 वन उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में

प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी बांस से जुड़े कानून बहुत सख्त थे, जिससे आदिवासी समाज को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बांस की खेती से जुड़े कानूनों को आसान बनाया है। श्री मोदी ने कहा कि करीब 90 वन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के दायरे में लाया गया है, जबकि पहले 8-10 वन उत्पाद ही इसके दायरे में आते थे। उन्होंने कहा कि आज भारत में 4,000 से अधिक वन धन केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिससे करीब 12 लाख आदिवासी किसानों को मदद मिल रही है।

श्री मोदी ने कहा, "लखपति दीदी योजना की शुरुआत से अब तक करीब 20 लाख आदिवासी महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।"

अपने संबोधन का समापन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हमें बड़े संकल्प लेने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे आदिवासी विचारों को नए भारत के निर्माण का आधार बनाएं, आदिवासी विरासत को संरक्षित करें, आदिवासी समाज द्वारा सदियों से संरक्षित की गई चीजों को जानें, ताकि एक मजबूत, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।

इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम, केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गा दास उइके सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ■

जनजातीय गौरव दिवस

भगवान बिरसा मुंडा ने हमें सिखाया कि हमें कैसे अपने परिवेश के साथ सद्भाव की भावना के साथ रहना है और अपनी संस्कृति पर गर्व करना है। उनसे प्रेरित होकर हम उनके सपनों को पूरा करने और हमारे आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

वर्ष 2021 से जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का सम्मान करने के लिए पूरे भारत में जनजातीय गौरव दिवस बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों ने आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें संथाल, तामार, कोल, भील, खासी और मिज़ो जैसे अन्य समुदाय शामिल हैं। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान (क्रांति) जैसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी आंदोलन न केवल ब्रिटिश अत्याचार को चुनौती देने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण थे, बल्कि इसने राष्ट्रीय जागृति को भी प्रेरित किया। आदिवासी समुदायों द्वारा भगवान के रूप में पूज्यनीय बिरसा मुंडा ने शोषणकारी औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ एक उग्र आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके चलते 15 नवंबर को उनकी जयंती आदिवासी नायकों का सम्मान करने का एक उचित अवसर बन गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन गुमनाम नायकों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जाए, भारत सरकार ने देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों का जश्न मनाते हुए वर्ष 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में घोषित किया

जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए योजनाएं

जनजातीय गौरव दिवस के अलावा केंद्र सरकार ने सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण, सतत् विकास तथा सांस्कृतिक संरक्षण के जरिए जनजातीय समुदायों का समर्थन करने के लिए कई कार्यक्रमों और पहलों की शुरुआत की है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजाति (एसटी) की आबादी 10.42 करोड़ या कुल आबादी का 8.6% है, जिसमें दूरस्थ और अक्सर दुर्गम क्षेत्रों में फैले 705 से अधिक विशिष्ट समूह शामिल हैं। इन समुदायों के उत्थान के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं को लागू किया है, जो उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक अवसरों में सुधार और आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने, उनके समग्र विकास और राष्ट्रीय मुख्यधारा में एकीकरण सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

जनजातीय विकास के लिए सरकार की पहल और वित्तीय सहायता

जनजातीय विकास के लिए भारत सरकार के प्रयास 1974-75 में जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के साथ शुरू हुए, जो अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के रुप में विकसित हुए। इन पहलों ने विभिन्न मंत्रालयों में समन्वित जनजातीय कल्याण भी सुनिश्चित किया। वित्तीय सहायता में काफी वृद्धि हुई है, डीएपीएसटी बजट 25,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 1.2 लाख करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2024-25 के लिये केंद्रीय बजट में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 73.60% अधिक है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ

2 अक्टूबर, 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। 79,156 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का मकसद करीब 63,843 आदिवासी गांवों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका विकास की राह आसान बनाना है। यह अभियान 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (यूटी) में फैले 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5.38 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभान्वित करता है। इसके ज़रिए भारत सरकार के 17 मंत्रालयों और विभागों में 25 हस्तक्षेपों को एकीकृत किया गया।

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन)

धरती आबा कार्यक्रम के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत परियोजनाओं का शुभारंभ किया। यह महत्वपूर्ण पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 नवंबर, 2023 को झारखंड के खूंटी जिले में जनजातीय गौरव दिवस के दौरान शुरू की गई थी। इसका मकसद विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का उत्थान करना है। 2023-24 से 2025-26 के लिए 24,104 करोड़ रुपये के बजट के साथ यह पहल आधार नामांकन, सामुदायिक प्रमाण पत्र, पीएम-जनधन योजना और आयुष्मान कार्ड सहित लक्षित समर्थन के माध्यम से पीवीटीजी समुदायों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने पर

केंद्रित है। मिशन पीवीटीजी परिवारों को सशक्त बनाने और उन्हें देश की सामाजिक-आर्थिक मुख्यधारा में एकीकृत करने के लिए प्रभावी पहुंच, स्थानीय जुड़ाव और मजबूत समन्वय पर जोर देता है।

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) का मकसद सार्थक आदिवासी आबादी वाले गांवों में बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। इस योजना के तहत इन गांवों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 50% जनजातीय आबादी वाले और 500 अनुसूचित जनजातियों (एसटी) वाले 36428 गांवों की पहचान की गई है, जिसमें नीति आयोग द्वारा पहचाने गए आकांक्षी जिलों के गांव भी शामिल हैं।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) को 2018-19 में दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, उन्हें उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। ये स्कूल नवोदय पद्धति का पालन करते हैं और कक्षा VI से XII तक 480 छात्रों को शामिल करते हैं।

अब तक इन स्कूलों में 1.29 लाख आदिवासी छात्रों ने दाखिला लिया है। सरकार ने कुल 728 ईएमआरएस स्कूलों को मंजूरी दी है, जिसमें 440 नए स्कूलों को (12 ओवरलैपिंग स्थानों को छोड़कर) वर्तमान योजना के तहत स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे आदिवासी समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का विस्तार होगा।

जनजातीय सशक्तीकरण के लिए प्रमुख सरकारी छात्रवृत्ति और अनुदान

आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं

इन छात्रवृत्तियों का उद्देश्य ड्रॉपआउट दर को कम करना और आदिवासी छात्रों की शिक्षा का समर्थन करना है:

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: कक्षा IX और X में एसटी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता, माध्यमिक शिक्षा में बदलाव को बढ़ावा देना।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति: उच्च शिक्षा का समर्थन करते हुए कक्षा XI से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तक के एसटी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता।

एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति

यह योजना मेधावी एसटी छात्रों को अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरल अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है। उत्कृष्टता और वैश्विक प्रदर्शन पर जोर देने के साथ सरकार सालाना 20 पुरस्कार भी देती है, जिसमें 30% महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।

एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप

यह फेलोशिप योजना पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के ज़रिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले आदिवासी छात्रों की मदद करती है, जिससे डिजिलॉकर एकीकरण के माध्यम से समय पर वित्तीय सहायता और शिकायत निवारण सुनिश्चित होता है।

आय सृजन और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए योजनाएं

सरकार ने आय सृजन और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।

टर्म लोन स्कीम 5 से 10 साल की पुनर्भुगतान शर्तों के साथ व्यावसायिक लागत का 90% तक सॉफ्ट लोन प्रदान करती है।

आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना (एएमएसवाई) आदिवासी महिलाओं के लिए 4% ब्याज पर 2 लाख रुपये तक का रियायती ऋण प्रदान करती है।

माइक्रो क्रेडिट योजना 5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा के साथ आदिवासी स्वयं सहायता समूहों की मदद करती है।

आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एआरएसवाई) उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले आदिवासी छात्रों के लिए सॉफ्ट लोन प्रदान करती है। इन कदमों का मकसद आदिवासी आबादी में उद्यमिता, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

स्वास्थ्य पहल

सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन

प्रधानमंत्री द्वारा 1 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश में शुरू किए गए इस मिशन का मकसद सिकल सेल रोग (एससीडी) का उन्मूलन करना है, जो मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में आदिवासी आबादी के बीच प्रचलित एक आनुवंशिक रक्त विकार है।

मिशन इंद्रधनुष

यह प्रतिरक्षण अभियान जनजातीय समुदायों पर खास जोर देते हुए दो वर्ष तक की आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इस मिशन ने कोविड-19 के मुफ्त टीके प्रदान करने के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार किया है, जिससे आदिवासी आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा पहुंच सुनिश्चित हो गई है। इस मिशन का लक्ष्य टीकाकरण दरों में वृद्धि करना और खासकर जनजातीय क्षेत्रों में कम सुविधाओं वाले क्षेत्रों में बीमारियों

शेष पृष्ठ 30 पर...

ग्रामीण भारत: बेहतर भविष्य

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृष्टि और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए पक्के मकान बनाने और उपलब्ध कराने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के कारण मई, 2014 में प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (2015) और ग्रामीण (2016) कर शुभारंभ हुआ

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-ग्रामीण) 20 नवंबर, 2016 को शुरू की गई, जिसका लक्ष्य समाज के सबसे गरीब वर्गों के लिए आवास प्रदान करना था। लाभार्थियों का चयन कठोर तीन-चरणीय सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है जिसमें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी 2011) और आवास+ (2018) सर्वेक्षण, ग्राम सभा अनुमोदन और जियो-टैगिंग शामिल है। इससे सुनिश्चित होता है कि सहायता सबसे योग्य व्यक्तियों तक पहुंचे। इस योजना में कुशल निधि संवितरण के लिए आईटी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को भी शामिल किया गया है। इसने विभिन्न निर्माण चरणों में जियो-टैग की गई तस्वीरों के माध्यम से क्षेत्र-विशिष्ट आवास डिजाइन और साक्ष्य-आधारित निगरानी भी लागू की है।

मूल रूप से 2023-24 तक 2.95 करोड़ मकानों को पूरा करने का लक्ष्य रखते हुए इस योजना को 2 करोड़ और मकानों के साथ बढ़ाया गया, जिसमें वित्त वर्ष 2024-29 के लिए 3,06,137 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 54,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 9 अगस्त, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों एवं पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 1.30 लाख रुपये की मौजूदा इकाई सहायता पर दो करोड़ और मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

आवेदन प्रक्रिया

पीएमएवाई-जी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को सरल ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया https://web.umang.gov.in/landing/department/pmayg.html से गुजरना होगा।

पीएमएवाई-जी के तहत प्रगति

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत सरकार ने 3.32 करोड़ मकान बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 19 नवंबर, 2024 तक 3.21 करोड़ मकानों को मंजूरी दी गई है और 2.67 करोड़ मकान पूरे हो चुके हैं, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों की रहने की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

इस योजना में महिला सशक्तीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें 74% स्वीकृत मकानों का स्वामित्व पूरी तरह से या संयुक्त रूप से महिलाओं के पास है। यह योजना अब महिलाओं को 100% स्वामित्व प्रदान करने की आकांक्षा रखती है। कुशल रोजगार भी प्राथमिकता रही है। लगभग 3 लाख ग्रामीण राजमिस्त्रियों को आपदा-रोधी निर्माण में प्रशिक्षित किया गया है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हुई है।

दो करोड़ से अधिक परिवारों के लिए मकानों के निर्माण से लगभग दस करोड़ व्यक्तियों को लाभ होने की उम्मीद है। इस मंजूरी से बिना आवास वाले सभी लोगों और जीर्ण-शीर्ण और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले सुरक्षित मकानों के निर्माण की सुविधा मिलेगी। इससे लाभार्थियों की सुरक्षा, स्वच्छता और सामाजिक समावेशन सुनिश्चित होगा।

पीएमएवाई-जी की मुख्य विशेषताएं हैं:

- 25 वर्ग मीटर की न्यूनतम इकाई (मकान) का आकार, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए समर्पित क्षेत्र भी शामिल है।
- लाभार्थी स्थानीय सामग्रियों और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण मकान बनाते हैं।
- लाभार्थी को मानक सीमेंट कंक्रीट मकान डिजाइनों के बजाय संरचनात्मक रूप से सुदृढ़, सौंदर्यपूर्ण, सांस्कृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त मकान डिजाइनों का विस्तृत चयन की सुविधा उपलब्ध है।

निर्माण के लिए संस्थागत ऋण

- पात्र लाभार्थियों को उनके पक्के मकान के निर्माण के लिए 3% कम ब्याज दर पर 70,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध है।
- अधिकतम मूल राशि जिसके लिए सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है वह 2,00,000 रुपये है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माण लागत व्यापक रूप से कवर की गई है।
- यह अतिरिक्त ऋण सहायता लाभार्थियों पर वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करती है, जिससे ग्रामीण परिवारों के लिए गृह निर्माण किफायती हो जाता है।

बेहतर लाभ के लिए सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण

पीएमएवाई-जी ग्रामीण परिवारों के लिए व्यापक सहायता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अन्य सरकारी पहलों के साथ मिलकर काम करती है। इन योजनाओं का उद्देश्य स्वच्छता, रोजगार, खाना पकाने के

ईंधन और जल आपूर्ति जैसी कई जरूरतों को पूरा करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी): ग्रामीण घरों में बेहतर स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों को शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये तक मिलते हैं।

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम): पात्र परिवार अकुशल श्रमिक के रूप में 95 दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के तहत 90.95 रुपये की दैनिक मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई): इस योजना के तहत प्रत्येक घर मुफ्त एलपीजी कनेक्शन का हकदार है, जो स्वच्छ और सुरक्षित खाना पकाने के ईंधन को बढ़ावा देता है।

पाइप्ड पेयजल और बिजली कनेक्शन: लाभार्थियों को पाइप्ड पेयजल और बिजली कनेक्शन सुलभ कराने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है और असुरक्षित पानी और अनियमित बिजली आपूर्ति से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों में कमी आती है।

सामाजिक और तरल अपशिष्ट प्रबंधन: पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सरकारी कार्यक्रमों के साथ भी जुड़ती है।

भुगतान स्थानांतरण प्रक्रिया

पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए पीएमएवाई-जी के तहत सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं। भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों या डाकघर खातों में स्थानांतरित किया जाता है जो आधार से जुड़े होते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि धनराशि बिना किसी देरी के इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंच जाए।

तकनीकी नवाचार यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान

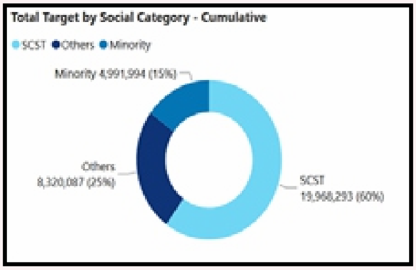

(सीबीआरआई) के सहयोग से आवास+ 2024 मोबाइल ऐप आधार-आधारित चेहरे प्रमाणीकरण और 3डी हाउस डिजाइन के साथ पारदर्शी लाभार्थी पहचान सुनिश्चित करता है। इससे लाभार्थी उपयुक्त डिजाइन चुनने में सक्षम होते हैं।

लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड

विशिष्ट मानदंडों का उपयोग करके पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों की पहचान की जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सबसे योग्य परिवारों, विशेष रूप से आवास अभाव का सामना करने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाती है।

इस योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान एसईसीसी 2011 और आवास+ (2018) सर्वेक्षणों के माध्यम से की जाती है, जिन्हें ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित किया जाता है। पिछले एक दशक में एसईसीसी 2011 की स्थायी प्रतीक्षा सूची पूरी हो गई है और 20 से अधिक राज्यों की आवास+ 2018 सूची भी पूरी हो गई है।

पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

आवासहीन परिवार: बिना आश्रय वाले सभी परिवार।

कच्चे घरों वाले परिवार: सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के अनुसार कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाले घरों या शून्य, एक या दो कमरों वाले घरों में रहने वाले परिवार।

अनिवार्य समावेशन मानदंड

निम्नलिखित श्रेणियों के लोग स्वचालित रूप से लाभार्थियों की सूची में शामिल हो जाते हैं:

- निराश्रित परिवार या भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले।
- मैनुअल मैला ढोने वाले
- आदिम जनजातीय समूह
- कानूनी तौर पर रिहा किये गये बंधुआ मजदूर

पात्र लाभार्थियों के दायरे में निम्नलिखित श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाएगी:

- बेघर परिवार
- शून्य या कम कमरे वाले घर (एक से अधिक कमरे वाले घरों के मामले में, कम कमरे वाले घरों को प्राथमिकता दी जाएगी)।

निम्नलिखित सामाजिक-आर्थिक मापदंडों का उपयोग करके गणना किए गए संचयी अभाव स्कोर के आधार पर विशेष प्राथमिकता भी दी जाएगी:

- ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
- महिला मुखिया वाले परिवार जिनमें कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है।
- वे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क नहीं है।
- ऐसे परिवार जिनमें एक दिव्यांगजन सदस्य है और कोई सक्षम वयस्क नहीं है।
- भूमिहीन परिवार शारीरिक आकस्मिक श्रम पर निर्भर हैं।

लक्ष्यों का निर्धारण

पीएमएवाई-जी विशिष्ट वंचित समूहों के लिए लक्षित सहायता भी सुनिश्चित करती है:

अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी): यह योजना एससी/एसटी परिवारों के लिए न्यूनतम 60% लक्ष्य आरक्षित करती है, जिसमें 59.58 लाख एससी घर और 58.57 लाख एसटी घर पूरे हो गए हैं।

'सभी के लिए आवास' के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहल धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष

अभियान है जो जनजातीय विकास पर केंद्रित है, जिसमें 63,843 गांवों को शामिल किया गया है, जिससे 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ मिलता है। यह पहल आवास और सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करती है। इससे 72.31 लाख आदिवासी परिवार पहले से ही लाभान्वित हो रहे हैं।

लक्ष्य का 5% अलग-अलग दिव्यांग लाभार्थियों के लिए आरक्षित है और अन्य 5% ओडिशा में फानी चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के लिए आवास को प्राथमिकता देता है।

अल्पसंख्यकः राष्ट्रीय स्तर पर कुल धनराशि का 15% अल्पसंख्यक परिवारों के लिए निर्धारित किया गया है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच लक्ष्यों का आवंटन जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार अल्पसंख्यकों की आनुपातिक ग्रामीण आबादी पर आधारित है।

बहिष्करण की शर्तें

कुछ परिवारों को उनकी वित्तीय स्थिति और संपत्ति के आधार पर योजना से बाहर रखा गया है। निम्नलिखित परिवारों को स्वचालित रूप से बाहर कर दिया जाएगाः

- जिन परिवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है और उनकी क्रेडिट सीमा 50,000 रुपये या उससे अधिक है।
- सरकारी कर्मचारी या गैर-कृषि उद्यम वाले।
- 15,000 रुपये से अधिक मासिक आय वाले या आयकर का भुगतान करने वाले परिवार।
- जिन परिवारों के पास रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन या सिंचित भूमि (2.5 एकड़ से अधिक) जैसी संपत्ति है।
- समावेशिता को बढ़ाने के लिए बहिष्करण मानदंड को 13 से घटाकर 10 कर दिया गया है, मछली पकड़ने वाली नाव या मोटर चालित दोपहिया वाहन के स्वामित्व जैसी शर्तों को हटा दिया गया है और आय सीमा को बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) ने सुरक्षित आवास प्रदान करके लाखों ग्रामीण परिवारों की जीवन स्थितियों को बदलने में उल्लेखनीय प्रगति की है। पीएमएवाई-जी आवास योजना से कहीं अधिक है— यह ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने, सामाजिक समानता सुनिश्चित करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के लिए आंदोलन है। दो करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए हालिया मंजूरी के साथ केंद्र सरकार 'सभी के लिए आवास' लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता को मजबूत कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक पात्र परिवार को गुणवत्तापूर्ण आवास और सम्मानजनक जीवन मिले। ■

पृष्ठ 27 का शेष...

को कम करना है।

निक्षय मित्र पहल

निक्षय मित्र पहल तपेदिक (टीबी) को लक्षित करती है, जो टीबी रोगियों, विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के लोगों को नैदानिक, पोषण और व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है। यह टीबी रोगियों के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है, जिसमें स्वास्थ्य लाभ बढ़ाने के लिए पोषण संबंधी सहायता और वोकेशनल प्रशिक्षण भी शामिल है। जनजातीय क्षेत्रों में टीबी से प्रभावी ढंग से निपटने, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने और प्रारंभिक पहचान और उपचार के पालन को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और हीमोग्लोबिनोपैथी दिशानिर्देश

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने सिकल सेल रोग (एससीडी) सहित हीमोग्लोबिनोपैथी की रोकथाम और उस पर नियंत्रण के लिए व्यापक दिशानिर्देश विकसित किए हैं, जिसकी जानकारी जनजातीय आबादी को विदित है। एससीडी के गंभीर प्रभाव को देखते हुए सरकार स्क्रीनिंग, जागरूकता अभियानों और स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच में सुधार के ज़रिए इसके उन्मूलन की दिशा में प्रयास तेज कर रही है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनाः मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में मदद करती है, आदिवासी महिलाओं को प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

भारत के जनजातीय समुदायों का सम्मान और जश्न

जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का सम्मान करने के लिए केंद्र सरकार ने उन राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के 10 संग्रहालयों की स्थापना को मंजूरी दी है, जहां जनजातीय समुदाय ने ब्रिटिश शासन का जमकर विरोध किया था। 1 नवंबर, 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम को विकसित करने की योजना की घोषणा की। यह वो स्थल था, जहां 1913 में ब्रिटिश नरसंहार के दौरान 1,500 से अधिक भील स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच का एक सहयोगात्मक प्रयास के रुप में यह स्मारक जनजातीय समुदाय की दृढ़ इच्छा शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के लिए एक राष्ट्रीय श्रद्धांजलि के रूप में काम करेगा। ■

मोदी स्टोरी

90 के दशक में अमेरिका यात्रा के दौरान श्री नरेन्द्र मोदी की भाषाई कुशलता का प्रदर्शन

—ज्योतिंद्र मेहता, गुजरात

1990 के दशक में भाजपा नेता के तौर पर श्री नरेन्द्र मोदी और दो अन्य नेताओं को संयुक्त राज्य अमेरिका आने का निमंत्रण दिया गया, इस यात्रा का उद्देश्य अमेरिका की लोकतंत्रिक प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करना और एक देश के तौर पर अमेरिका को समझना था। इस पहल का लक्ष्य युवा भारतीय नेताओं को अमेरिकी लोकतंत्र और शासन की गहरी समझ प्रदान करना था।

इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने न्यूयॉर्क में 'फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी फोरम' में भाषण दिया। इस कार्यक्रम में अमेरिका में रहने वाले भारतीय बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिसमें श्री ज्योतिंद्र मेहता भी थे। श्री मेहता ने बताया, "श्री नरेन्द्र मोदी ने अंग्रेजी में भाषण दिया।" "जबकि वह गुजराती और हिंदी के एक कुशल वक्ता हैं, किसी ने भी उनसे अंग्रेजी पर इतनी अच्छी पकड़ की उम्मीद नहीं की थी। तीनों भाषाओं में उनकी दक्षता असाधारण थी।"

श्री मेहता ने इस बात पर जोर दिया कि श्री नरेन्द्र मोदी के लिए अपने विचारों को व्यक्त करने में भाषा कभी बाधा नहीं बनी। श्री मेहता ने बताते है कि "श्री मोदी की कई भाषाओं में स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता उनके असाधारण भाषाई कौशल को दर्शाती है।" "यहां तक कि अंग्रेजी में भी, जो उनकी पहली भाषा नहीं थी, उन्होंने अपने विचार प्रभावशाली एवं स्पष्ट ढंग से किए।" इस अनुभव ने न केवल श्री मोदी की भाषाई बहुमुखी प्रतिभा को उजागर किया, बल्कि उनके विचारों की स्पष्टता को भी उजागर किया। ■

कमल पुष्प

सेवा, समर्पण, त्याग, संघर्ष एवं बलिदान

श्री नरेन्द्र नाथ बैरागी

श्री नरेन्द्र नाथ बैरागी मूल रूप से बांग्लादेश के निवासी थे और वह एक शरणार्थी के तौर पर अंडमान आए थे। एक सजग सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने लगातार गरीबों एवं दलितों की मदद की।

1990 में श्री नरेन्द्र नाथ बैरागी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भाजपा की स्थापना के लिए प्रयास किये और वह प्रदेश में इसके संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। उन्हें डिगलीपुर संगठनात्मक जिले का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन दिनों कांग्रेस पार्टी का पंचायत से लेकर संसद तक शासन था और उनके तानाशाही और अहंकारी नियंत्रण के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसी जगह पर कांग्रेस को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं और सदस्यों ने श्री बैरागी जी को जान से मारने की कई बार धमकियां दीं। उनके साथ सामाजिक एवं राजनीतिक भेदभाव किया गया। हालांकि, उन्होंने पूरे उत्तरी अंडमान क्षेत्र में भाजपा को मजबूत करने की दिशा में काम करना जारी रखा। श्री नरेन्द्र नाथ की प्रभावी कार्यशैली और क्षेत्रीय गतिविधियों ने भाजपा को संबल प्रदान किया और उस क्षेत्र के हजारों लोगों को पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जिसका लाभ आगामी वर्षों में मिलने लगा। उनके प्रयासों और वर्षों से तैयार की गई टीम के कारण भाजपा वर्ष 2015 में डिगलीपुर में 15 में से 14 पंचायतों में जीत हासिल करने में सफल रही। ■

श्री नरेन्द्र नाथ बैरागी
जन्म: 01 जनवरी, 1933
सक्रिय वर्ष: 1990-1995
जिला: उत्तर-मध्य अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह

रचनात्मक अर्थव्यवस्था : अपार संभावना

अश्विनी वैष्णव

"आप पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल राजदूत हैं। आप 'वोकल फॉर लोकल' के ब्रांड एंबेसडर हैं।" इस साल की शुरुआत में 'पहले राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड' के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के यह प्रेरक शब्द भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था की परिवर्तनकारी भूमिका के महत्व को बताते हैं। आज, हमारे क्रिएटर सिर्फ कहानीकार नहीं हैं; वे राष्ट्र-निर्माता हैं, जो भारत की पहचान को आकार दे रहे हैं और वैश्विक मंच पर इसकी संभावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं।

आज गोवा में 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) की शुरुआत हो रही है और इस वर्ष की थीम 'युवा फिल्म निर्माता - भविष्य अभी है' होगी। अगले आठ दिनों में आईएफएफआई में सैकड़ों फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जहां इस उद्योग के दिग्गजों मौजूद होंगे और वैश्विक सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित किया जाएगा। वैश्विक और भारतीय सिनेमाई उत्कृष्टता का यह समागम भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को नवाचार, रोजगार और सांस्कृतिक कूटनीति के एक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था 30 बिलियन डॉलर के उद्योग के रूप में उभरी है, जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2.5 प्रतिशत का योगदान देती है और लगभग 8 प्रतिशत कार्यबल को आजीविका प्रदान करती है। सिनेमा, गेमिंग, एनीमेशन, संगीत, प्रभावशाली मार्केटिंग और बहुत कुछ तक फैला है। यह क्षेत्र, भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य की जीवंतता को दर्शाता है। 3,375 करोड़ रुपये के मूल्य के एक संपन्न प्रभावशाली मार्केटिंग क्षेत्र और 200,000 से अधिक पूर्णकालिक सामग्री निर्माताओं के साथ यह उद्योग भारत की वैश्विक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने वाली एक गतिशील शक्ति है। उल्लेखनीय रूप से गुवाहाटी, कोच्चि और इंदौर जैसे शहर रचनात्मक केन्द्र बनते जा रहे हैं, जिससे विकेन्द्रित रचनात्मक क्रांति को बढ़ावा मिल रहा है।

भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था 30 बिलियन डॉलर के उद्योग के रूप में उभरी है, जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2.5 प्रतिशत का योगदान देती है और लगभग 8 प्रतिशत कार्यबल को आजीविका प्रदान करती है। सिनेमा, गेमिंग, एनीमेशन, संगीत, प्रभावशाली मार्केटिंग और बहुत कुछ तक फैला है। यह क्षेत्र, भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य की जीवंतता को दर्शाता है

भारत के 1.1 बिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता और 700 मिलियन सोशल मीडिया उपयोगकर्ता रचनात्मकता के लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और ओटीटी सेवाएं क्रिएटर्स को सीधे वैश्विक दर्शकों से जुड़ने में सक्षम बनाती हैं। क्षेत्रीय सामग्री और स्थानीय भाषा में कहानी कहने के चलन ने कहानी को और विविधतापूर्ण बना दिया है, जिससे भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था वास्तव में समावेशी बन गई है। कंटेंट क्रिएटर अभूतपूर्व आर्थिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं, जिनके दस लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं, वह हर महीने 20,000 से 2.5 लाख रुपये तक कमा रहे हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र आर्थिक रूप से फायदेमंद है और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति एवं सामाजिक बदलाव के लिए एक मंच भी है।

रचनात्मक अर्थव्यवस्था का गहरा प्रभाव है जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह सहायक उद्योगों का समर्थन करके पर्यटन, आतिथ्य और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म हाशिए पर पड़ी शक्तियों को सशक्त बनाते हैं, सामाजिक समावेशन, विविधता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। अपनी कहानी कहने की कला के माध्यम से भारत बॉलीवुड से लेकर क्षेत्रीय सिनेमा तक अपनी वैश्विक सॉफ्ट पावर को बढ़ाता चला जा रहा है, विश्व मंच पर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक गाथा का प्रदर्शन कर रहा है। यह क्षेत्र वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के साथ भी जुड़ता है, जैसाकि पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन प्रथाओं और टिकाऊ फैशन के उदय में देखा जाता है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर आगे ले जाने के लिए

क्रिएट इन इंडिया चैलेंज भारत की क्रिएटर इकोनॉमी की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन की गई एक अग्रणी पहल है। इसके तहत एनिमेशन, गेमिंग, संगीत, ओटीटी कंटेंट और इमर्सिव स्टोरीटेलिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिभाओं को प्रेरित करना और उन्हें सशक्त बनाना है। 14,000 से अधिक पंजीकरण और स्टार्टअप, स्वतंत्र क्रिएटर और उद्योग के पेशेवरों की सक्रिय भागीदारी के साथ यह पहल भारत की अभिनव भावना को प्रदर्शित करती है

सरकार तीन प्रमुख स्तंभों को प्राथमिकता दे रही है – एक मजबूत प्रतिभा पूल का पोषण करना, रचनाकारों के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और कहानीकारों को सशक्त बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना। इस दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) की स्थापना नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। आईआईसीटी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय रचनाकार - चाहे वे सिनेमा, एनीमेशन, गेमिंग या डिजिटल कला में हों - घरेलू स्तर पर एक एकीकृत सांस्कृतिक शक्ति के रूप में और वैश्विक मनोरंजन जगत में अग्रणी के रूप में आगे बढ़ते रहें। फिल्म निर्माण, इमर्सिव अनुभव और इंटरैक्टिव मनोरंजन में नवीनतम तकनीकों को अपनाकर भारत कंटेंट निर्माण के भविष्य को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है।

विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (WAVES) देश को कंटेंट निर्माण और नवाचार में वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की एक ऐतिहासिक पहल है। WAVES एक गतिशील मंच के रूप में कार्य करता है जहां निर्माता, उद्योग के दिग्गज और नीति निर्माता ऑडियो-विजुअल और मनोरंजन क्षेत्रों के भविष्य को आकार देने के लिए एकत्रित होते हैं। प्रधानमंत्री के क्रिएट इन इंडिया विजन के अनुरूप शिखर सम्मेलन सहयोग को बढ़ावा देता है, भारत की रचनात्मक क्षमता को प्रदर्शित करता है और वैश्विक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

क्रिएट इन इंडिया चैलेंज भारत की क्रिएटर इकोनॉमी की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन की गई एक अग्रणी पहल है। इसके तहत एनिमेशन, गेमिंग, संगीत, ओटीटी कंटेंट और इमर्सिव स्टोरीटेलिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिभाओं को प्रेरित करना और उन्हें सशक्त बनाना है। 14,000 से अधिक पंजीकरण और स्टार्टअप, स्वतंत्र क्रिएटर और उद्योग के पेशेवरों की सक्रिय भागीदारी के साथ यह पहल भारत की अभिनव भावना को प्रदर्शित करती है। आईएफएफआई के इस आठ दिवसीय आयोजन के साथ यह संदेश स्पष्ट है कि भारत के रचनाकार वैश्विक रचनात्मक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार नीतिगत सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और नवाचार के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से इस पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे रचनाकारों के लिए एक सरल आह्वान हैः 5जी, वर्चुअल प्रोडक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाएं, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाएं जो भौगोलिक बाधाओं को दूर करते हैं और ऐसी प्रणालियों का हिस्सा बनें, जो भारत की अनूठी पहचान को वैश्विक स्तर स्थापित करती हैं।

भविष्य उनका है जो नवाचार करते हैं, सहयोग करते हैं और सहजता से सृजन करते हैं। भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को प्रेरणा का स्तम्भ बनने दें, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक कूटनीति और वैश्विक नेतृत्व को आगे बढ़ाएं। आइए, हम साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक भारतीय रचनाकार एक वैश्विक कहानीकार बने और भविष्य में दुनिया ऐसी गाथा के लिए भारत की ओर देखे। ■

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, 1200 जोड़ों का शुभ विवाह, गोरखपुर

पूज्य अवैधनाथ जी महाराज अ0भा0 कबड्डी प्रतियोगिता 2024, गोरखपुर

पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि बैठक, मा0 उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य, देवरिया

संगठनात्मक चुनाव बैठक, मा0 विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महामंत्री, लखनऊ

पत्रिका पंजीकरण – RNI-51899/91, शीर्षक कोड: UPHIN16701, डाक पंजीकरण – SSP/LW/NP-117-2024-26
दिसम्बर प्रथम अंक 2024 – प्रेषित डाकघर – R.M.S. चारबाग, लखनऊ – प्रेषण तिथि : 11–13 (प्रथम पाक्षिक)

भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्रक तथा प्रकाशक प्रो. श्यामनन्दन सिंह द्वारा नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ से मुद्रित व भाजपा कार्यालय, 7, विधानसभा मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित।